8 अध्याय

वित्तीय प्रशासन (Financial Administration)

बजटः धारणा और रूप (Budget: Concept and Forms)

लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है-वित्तीय प्रशासन। यह 'बजट' उपकरण के माध्यम से काम करता और संपूर्ण 'बजटीय चक्र' को घेरता है। इसका अर्थ है-बजट का निरूपण, बजट का अधिनियमन, बजट का क्रियान्वयन, लेखांकन और लेखा परीक्षण।

सी.पी.भांभरी के अनुसार, "वर्तमान अर्थ में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1773 में *ओपनिंग दि बजट* नामक व्यंग्य रचना में वालपोल की उस वर्ष की वित्तीय योजना के विरुद्ध किया गया था।"

महत्त्व (Significance)

सरकारी प्रशासन के लिए वित्तीय प्रशासन के महत्त्व पर प्रचलित वक्तव्य निम्न हैं-

कौटिल्य-"सारे काम वित्त पर निर्भर हैं। अतः सर्वाधिक ध्यान कोषागार पर देना चाहिए।"

हूवर आयोग-"वित्तीय प्रशासन 'आधुनिक सरकार का मर्म' है।"

विलोबी-"बजट 'प्रशासन का अभिन्न और अनिवार्य औजार' है।"

डिमॉक-"वित्तीय प्रशासन के सभी पक्षों में से बजट निर्माण सबसे ज्यादा नीति संबंधी प्रश्न उठाता है।"

लॉयड जॉर्ज-"सरकार वित्त है।"

मॉरस्टेन मार्क्स-"प्रशासन में वित्त वातावरण में ऑक्सीजन की तरह ही सर्वव्यापी है।"

अर्थ (Meaning)

बजट शब्द पुरानी अंग्रेजी के शब्द 'बोगेट' (bougett) से निकला है जिसका अर्थ है बोरा या थैला। आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय कार्यक्रम को संसद में प्रस्तुत करने के लिए ब्रिटिश वित्त मंत्री अपने कागज़ात को एक चमड़े के थैले से निकालते थे। इस जुड़ाव के चलते थैले का प्रयोग कागजात के लिए, विशेष रूप से वित्तीय प्रस्तावों वाले कागजात के लिए किया जाने लगा।

बजट की कुछ परिभाषाएँ निम्न हैं-

हैरॉल्ड आर. ब्रूस-"बजट किसी संगठन की अनुमानित आय तथा प्रस्तावित व्यय का वित्तीय वक्तव्य है जो आगामी वर्ष के लिए पहले से तैयार किया जाता है।"

विलने-बजट, अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण, आय एवं व्यय का तुलनात्मक चित्र और इन सबके ऊपर यह राजस्व एकत्र करने तथा सार्वजनिक धन खर्च करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को दिया हुआ प्राधिकार तथा निर्देश है।"

रेने गेज-"आधुनिक राज्य में बजट सार्वजनिक प्राप्तियों एवं खर्चों का पूर्वानुमान तथा एक अनुमान है, और कुछ खर्चों को करने तथा प्राप्तियों को एकत्र करने का अधिकृतिकरण है।"

डिमॉक-"बजट एक वित्तीय योजना है जो अतीत में वित्तीय अनुभव का स्तर प्रस्तुत करता है, वर्तमान की योजना बनाता और भविष्य के एक निश्चित काल के लिए इसे आगे बढ़ाता है।"

मुनरो-"बजट, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अर्थ प्रबंधन की योजना है। उसमें एक ओर सभी आयों का और दूसरी ओर सभी खर्चों का मद के अनुसार अनुमान दिया होता है।" अतः बजट किसी वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों (राजस्व या आय) और व्यय का विवरण है अर्थात् बजट विधायिका को प्रस्तुत और विधायिका द्वारा स्वीकृत सरकार का वित्तीय दस्तावेज है।

कार्य (Functions)

निम्नलिखित बिंदु बजट के कार्यों और उद्देश्यों को सामने लाते हैं-

1. यह विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय एवं न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
2. प्रशासनिक पद सोपान तंत्र में यह वरिष्ठों के प्रति अधीनस्थों की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है।
3. यह सामाजिक और आर्थिक नीति का उपकरण है जिसका कार्य निर्धारण, वितरण और स्थिरीकरण है।

4. यह सरकारी कार्यों और सेवाओं के कुशल कार्यान्वयन का रास्ता साफ़ करता है।
5. यह सरकारी विभागों की विभिन्न गतिविधियों को एक योजना के अधीन लाकर उनको एकीकृत करता है और इस प्रकार प्रशासनिक प्रबंधन एवं समन्वय को आसान बनाता है।

प्रणालियाँ (Systems)

बजट निर्माणकारी जिन पद्धतियों का विकास इतिहास के लंबे दौर में हुआ है, उनके बारे में नीचे बताया जा रहा है–

मद क्रम बजट निर्माण (Line-item Budgeting)

इसको परंपरागत या रुढ़िगत बजट निर्माण भी कहा जाता है। बजटिंग की इस प्रणाली का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ। इसमें खर्चों के उद्देश्य को सामने लाए बिना उनकी मदों पर जोर दिया जाता है और बजट की कल्पना वित्तीय अर्थों में की जाती है। अर्थात, बजट को मद-क्रम वर्गीकरण के अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है। उस प्रणाली के अंतर्गत विधायिका द्वारा मद विशेष पर स्वीकृत धनराशि का उपयोग इस मद पर ही किया जा सकता है। इस प्रकार की बजटिंग का उद्देश्य, विधायिका द्वारा कार्यपालिका को स्वीकृत धन की बर्बादी, आय-व्यय तथा दुरूपयोग को रोकना है। बजटिंग की यह प्रणाली सार्वजनिक व्ययों पर अधिकतम नियंत्रण का मार्ग प्रस्तुत करती है। वास्तव में मद-क्रम (Line-items) बजटिंग प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य धन की जवाबदेही, अर्थात खर्चों की वैधानिकता तथा नियमितता को सुनिश्चित करना रहा है। उस प्रणाली को 'वर्धनशील बजटिंग' भी कहा जाता है क्योंकि इसमें धन का आबंटन विद्यमान आधार की पहचान करने के बाद वर्धनशील (incremental) आधार पर किया जाता है।

निष्पादन बजट निर्माण (Performance Budgeting)

इस प्रणाली का जन्म संयुक्त राज्य अमरीका में हुआ और पहले उसे क्रियाशील (functional) या कार्यकलाप (activity) बजटिंग कहा जाता था। 'निष्पादन बजट' शब्द को पहले हूवर आयोग (1949) ने गढ़ा था। इसने संयुक्त राज्य अमरीका में निष्पादन बजट अपनाने की सिफारिश की थी जिससे कि बजट निर्माण के प्रति कुशल प्रबंधन का दृष्टिकोण बनाया जा सके। तदनुसार राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा इसको 1950 में लागू किया गया।

मद-क्रम बजटिंग के विपरीत निष्पादन बजटिंग खर्चे के बजाए खर्चे के उद्देश्य पर जोर देती है। यह बजट को कार्यकलापों, कार्यक्रमों, क्रियाशीलताओं और परियोजनाओं के अर्थों में प्रस्तुत करती है। यह प्रत्येक कार्यक्रम और गतिविधि के वास्तविक (निष्पादन या उत्पादन) और वित्तीय (निवेश) पक्षों के बीच संबंध स्थापित करती है। अतः यह बजट के क्रियाशील वर्गीकरण को आवश्यक कर देती है। भारत में निष्पादन बजट की सिफारिश सर्वप्रथम संसदीय आकलन समिति ने 1950 में की थी। भारत में बजट बनाने की इस प्रणाली की उपयुक्तता और व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए सरकार ने अमरीकी विशेषज्ञ फ्रेंक डब्ल्यू. क्राउस को आमंत्रित किया। अंततया निष्पादन बजटिंग को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 1958 में लागू किया गया। उस आयोग के अनुसार निष्पादन बजट प्रणाली के लाभ/उद्देश्य निम्न हैं–

(i) विधायिका संसद से जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के लिए धन की माँग करती है, उनको यह अधिक स्पष्टता से सामने लाती है।
(ii) यह कार्यक्रमों और उपलब्धियों को वित्तीय और वास्तविक अर्थों में सामने लाती है।
(iii) संसद इस बजट को बेहतर ढंग से समझ सकती है और उसकी बेहतर समीक्षा कर सकती है।
(iv) इससे बजट निरूपण में सुधार आता है।
(v) इससे सरकार के सभी स्तरों पर निर्णय निर्माण प्रक्रिया आसान हो जाती है।
(vi) यह वित्तीय कार्यकलापों के प्रबंध नियंत्रण के अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध कराता है।
(vii) यह निष्पादन लेखा-परीक्षा को अधिक उद्देश्यपूर्ण और कारगर बनाता है।

1968 में निष्पादन बजट को भारत सरकार के चार मंत्रालयों में शुरू किया गया था। बाद में, 1977-78 में इसका विस्तार 32 विकासात्मक विभागों में कर दिया गया।

कार्यक्रम बजट निर्माण

निष्पादन बजटिंग की तरह ही कार्यक्रम बजटिंग (अथवा, नियोजन कार्यक्रम बजटिंग पद्धति (PPBS)की उत्पत्ति भी संयुक्त राज्य अमरीका में हुई। इसका सूत्रपात 1965 में राष्ट्रपति जॉनसन ने किया। परंतु 1971 में उसे छोड़ दिया गया। बजटिंग की इस प्रणाली में नियोजन कार्यक्रम निर्माण और बजटिंग के कार्यों को एक कर दिया जाता है। के.एल.हांडा के शब्दों में, "कार्यक्रम बजटिंग या पीपीबीएस बजटिंग के नियोजक पक्ष पर बल देते हैं जिसका उद्देश्य अनेक उपलब्ध कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना तथा बजट में धन का आबंटन करते समय आर्थिक अर्थों में सर्वश्रेष्ठ को चुनना है... यह मानता है कि बजट प्रतिद्वंदी दावों के बीच आंबटन करने की प्रक्रिया है जो नियोजन के प्रासंगिक उपायों का प्रयोग करके चलाई जाती है।"

शून्य आधारित बजट निर्माण (ZBB)

इसका भी जन्म और विकास अमरीका में हुआ। इसका निर्माण निजी उद्योग के एक प्रबंधक पीटर ए. पियर ने 1969 में किया अमरीका में इसको राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1978 में लागू किया।

निष्पादन बजटिंग की तरह जेडबीबी भी बजटिंग की एक तर्कसंगत पद्धति है। इसके अंतर्गत बजट में सम्मिलित किए जाने से पहले प्रत्येक कार्यक्रम/योजना की आलोचनात्मक समीक्षा की जानी चाहिए और शून्य से प्रारंभ कर संपूर्णतया दोबारा सही सिद्ध करना चाहिए। अत: शून्य आधारित बजटिंग में बजटिंग के वर्धनशील दृष्टिकोण का (जो हालिया खर्च के आंकलन से शुरू होता है) अनुसरण करने के स्थान पर सभी योजनाओं की शुरू से (अर्थात शून्य से) पुन:परीक्षा करना शामिल है। के.एल.हांडा के शब्दों में, "शून्य आधारित बजट प्रणाली की मूल विशिष्टता यह है कि अपना बजट तैयार करते समय विभागों को किसी चीज को पहले मानकर नहीं चलना चाहिए और इसलिए उनको कोरे कागज से शुरूआत करनी चाहिए। आगामी वर्ष के बजट निर्माण की प्रक्रिया शून्य से शुरू होनी चाहिए न कि मौजूदा बजट को आधार या प्रारंभिक बिंदु के रूप में मानकर।

शून्य आधारित बजटिंग की व्याख्या करते हुए सी.वी. श्रीनिवासन कहते हैं कि यह, "एक क्रियाशील, नियोजन और बजटीय प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्रबंधक से अपने बजट की पूरी मांग को शुरुआत से (इसलिए शब्द शून्य आधारित आता है) सही सिद्ध करने की अपेक्षा करती है और यह सिद्ध करने के साक्ष्य का बोझ प्रबंधक पर डालती है कि उसको धन खर्च ही क्यों करना चाहिए और काम बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है।"

शून्य आधारित बजट पद्धति के लाभ इस प्रकार हैं–

(i) यह निचली वरीयता के कार्यक्रमों को हटाती या न्यूनतम कर देती है।
(ii) यह कार्यक्रम की प्रभावशीलता को एकाएक बढ़ा देती है।
(iii) इसमें अधिक प्रभावी कार्यक्रमों को अधिक धन मिलता है।
(iv) इससे कर वृद्धि में कमी आती है।
(v) यह लागत प्रभाविता (cost effectiveness) और लागत लाभ (cost benefits) के अर्थों में योजनाओं की आलोचनात्मक समीक्षा को आसान बनाती है।
(vi) इससे वर्ष के दौरान बजट समायोजन शीघ्र होता है।
(vii) यह पर्याप्त संसाधनों का सुसंगत आबंटन करता है।
(viii) बजट की तैयारी में यह संबद्ध कार्मिकों की भागीदारी बढ़ाती है।

भारत में शून्य आधारित बजटिंग को सबसे पहले 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में और तत्पश्चात 1986-87 के वित्त वर्ष के दौरान सभी मंत्रालयों में लागू किया गया था।

सूर्यास्त विधायन (Sunset legislation)

यह अवांछित, पुराने, बेकार और अनुपयोगी कार्यक्रमों को समाप्त करने के लिए नीति समीक्षा की औपचारिक प्रक्रिया है। के.एल.हांडा के शब्दों में, "यह कार्यक्रम के वैधानिक प्राधिकार की समाप्ति की व्यवस्था करके सेवानिवृत्त हो जाने वाले सरकारी कार्यक्रमों की अवधारणा को साकार करता है। इसके लिए सरकारी कार्यक्रमों पर विधायी अधिनियमों में दी गयी समय सीमा तय कर दी जाती है और ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जब तक एक विस्तृत पुनरावलोकन के बाद विधायिका द्वारा उनको मजबूती से दोबारा जीवित न किया जाए, वे अपने आप समाप्त हो जाते हैं।"

सूर्यास्त विधान के लाभ इस प्रकार हैं–

(i) यह सरकारी खर्चों में मितव्ययता को सुनिश्चित करता है।
(ii) यह सरकारी गतिविधियों के अनावश्यक फैलाव को रोकता है।
(iii) यह नए कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है।
(iv) अविराम आधार पर सीमित धन के आबंटन का मार्ग प्रशस्त करके यह प्रशासनिक सुसंगतता को सुनिश्चित करता है।
(v) चल रहे कार्यक्रमों के मूल्यांकन की मुख्य जिम्मेदारी विधायिका पर डालकर यह उनको समाप्त करने के मामले में कार्यपालिका के प्रतिरोध पर काबू पाने में सहायक होता है।

सिद्धांत (Principles)

तर्कसंगत बजटिंग के सिद्धांत निम्नलिखित हैं–

बजट संतुलित हो

इसका अर्थ है कि अनुमानित व्यय अनुमानित आय से अधिक नहीं होना चाहिए। या यूँ कहा जाए कि 'संतुलित बजट' वह बजट है जिसमें अनुमानित व्यय अनुमानित आय से मेल खाते हैं। अगर अनुमानित आय अनुमानित व्यय से अधिक है इसे 'बचत का बजट' कहते है और यदि अनुमानित आय अनुमानित व्यय से कम है तो इसे 'घाटे का बजट' कहा जाता है।

रोकड़ बजटिंग

इसका अर्थ है कि व्यय और आय का अनुमान तैयार करने का आधार यह हो कि वित्त वर्ष के दौरान वास्तव में कितना व्यय और

कितनी आय होने की आशा है। 'रोकड़ बजटिंग' के विपरीत होती है,'राजस्व बजटिंग'। इसके अंतर्गत बजट अनुमान मांग और देयता के आधार पर तैयार किए जाते हैं। अर्थात वित्तीय वर्ष के बजट में एक वित्तीय वर्ष के व्यय और आय को उसका ख्याल रखे बिना जोड़ा जाता है कि उस वित्तीय वर्ष में वास्तव में खर्च प्राप्त होंगे या नहीं। संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन और भारत में 'रोकड़ बजटिंग' प्रचलित है जबकि फ्रांस और यूरोप के कुछ अन्य देशों में 'राजस्व बजटिंग'।

राजस्व बजटिंग की अपेक्षा रोकड़ बजटिंग में सार्वजनिक खातों का समापन जल्दी करना आसान होता है। देरी होने से वित्तीय वर्ष के लिए उनका महत्व काफी कम हो जाता है।

सभी वित्तीय लेन-देन के लिए एक बजट

इसका अर्थ है कि सरकार को अपने सारे राजस्व और व्यय (सभी विभागों के) एक ही बजट में शामिल करने चाहिए। 'एक बजट' के विपरीत है 'बहु बजट' जिसमें अलग अलग विभागों के अलग-अलग बजट तैयार किए जाते हैं। 'एक बजट' प्रणाली सरकार की संपूर्ण वित्तीय स्थिति अर्थात संपूर्ण बचत या घाटे को प्रकट करती है। संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन में 'एक बजट' प्रणाली प्रचलित है जबकि फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में 'बहु बजट'। भारत में दो बजट होते हैं- आम बजट और रेलवे बजट।

बजटिंग सरल होनी चाहिए शुद्ध नहीं

इसका अर्थ है कि बजट में सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के तमाम लेन-देन को पूर्णत: और अलग-अलग प्रदर्शित होना चाहिए, केवल वह स्थितियाँ नहीं जो इनके परिणामस्वरूप पैदा होती हैं। प्राप्तियों को व्यय से घटाने या इससे उल्टा करने और बजट को शुद्ध प्राप्तियों या खर्चों के लिए तैयार करने की पद्धति बजटिंग का स्वस्थ सिद्धांत नहीं। कारण यह है कि अधूरे लेखा चलते इसके वित्त पर विधायिका का नियंत्रण कम हो जाता है।

अनुमान ठोस होने चाहिएं

इसका अर्थ यह है कि अनुमानों को यथासंभव सटीक होना चाहिए। कारण यह है कि अनुमान अधिक होने से कराधान अधिक होता है और अनुमान कम होने से बजट का क्रियान्वयन अप्रभावी होता है। 'ठोस बजटिंग' का अर्थ यह भी है कि खर्चों की खास मदों को स्पष्ट होना चाहिए और कोई एक मुश्त अनुदान की माँग नहीं होनी चाहिए।

कालातीत का नियम

बजट वार्षिक आधार पर होना चाहिए अर्थात विधायिका द्वारा कार्यपालिका को धन एक वित्तीय वर्ष के लिए दिया जाना चाहिए। अगर स्वीकृत धन वित्तीय वर्ष के अंत तक खर्च नहीं होता तब शेष धनराशि को समाप्त हो जाना चाहिए और इसे कोषागार को लौटा देना चाहिए। इस परिपाटी को 'कालातीत का नियम' (Rule of Lapse) कहते हैं। भारत और इंग्लैंड में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है जबकि संयुक्त राज्य अमरीका में 1 जुलाई से 30 जून तक और फ्रांस में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक।

कालातीत के नियम से विधायिका के वित्तीय नियंत्रण का रास्ता आसान हो जाता है क्योंकि आरक्षित कोष का निर्माण इसकी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। परंतु इस नियम के पालन से वित्तीय वर्ष के अंत की ओर खर्चों की भारी भीड़ लग जाती है। भारत में इसे आमतौर पर 'मार्च की हड़बड़' कहते हैं।

राजस्व और पूँजी भाग अलग-अलग हों

इसका अर्थ है कि सरकार के चालू वित्तीय लेन देन पूँजीगत लेन-देन से अलग होने चाहिएँ और दोनों को बजट के अलग-अलग हिस्सों में राजस्व बजट और पूँजीगत बजट प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इससे प्रचालन व्यय को निवेश व्यय से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। वित्तीय मामले में राजस्व बजट को चालू राजस्व से और पूँजीगत बजट को बचतों तथा उधारियों से काट दिया जाता है।

अनुमानों के रूप लेखा के रूप के अनुरूप हों

इसका अर्थ है कि बजट संबंधी अनुमानों के रूप लेखा के रूपों के अनुरूप होने चाहिए जिससे कि वित्तीय नियंत्रण को कारगर किया जा सके। उदाहरण के लिए, भारत में बजट संबंधी शीर्ष और लेखा शीर्ष अर्थात प्रमुख शीर्ष, गौण शीर्ष, उपशीर्ष और विवरण शीर्ष समान होते हैं।

बजट निर्माण (Formulation of Budget)

'बजट निर्माण' का अर्थ है-बजट अनुमानों का, अर्थात प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में भारत सरकार के व्यय और प्राप्तियों (आय) के अनुमानों का विवरण तैयार करना। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

भारत सरकार के दो बजट हैं—रेलवे बजट और आम बजट। 1921 में आकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। रेल बजट में केवल रेल मंत्रालय के खर्चों और आमदनी के अनुमान होते हैं जबकि आम बजट में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों (रेल के अलावा) के व्यय और प्राप्तियों के।

एजेंसियाँ (Agencies)

बजट निर्माण में निम्नलिखित एजेंसियाँ शामिल होती हैं—

वित्त मंत्रालय—बजट बनाने की पूरी जिम्मेदारी इसकी है और यह अपेक्षित नेतृत्व एवं दिशा प्रदान करता है।

प्रशासनिक मंत्रालय—इनको प्रशासनिक आवश्यकताओं का विस्तृत ज्ञान होता है।

योजना आयोग—यह बजट में योजना की प्राथमिकताओं को शामिल कराने का काम करता है। दूसरे शब्दों में, बजट में योजना की प्राथमिकताओं को सम्मिलित कराने के लिए वित्त मंत्रालय योजना आयोग से निकट संपर्क बनाए रखता है।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक—यह बजट अनुमानों के निर्माण के लिए आवश्यक लेखा विधि कौशल उपलब्ध कराता है।

चरण/प्रक्रियाएँ (Stages/Process)

बजट निर्माण के विभिन्न चरण निम्न हैं–

आहरण एवं संवितरण (Drawing & Disbursing) अधिकारियों द्वारा अनुमानों की तैयारी

वित्त वर्ष प्रारंभ होने से 5-6 महीने पहले अर्थात सितंबर-अक्टूबर में वित्त मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय को परिपत्र और प्रपत्र भेजकर उससे आगामी वित्त वर्ष के खर्चों के अनुमान माँगता है। प्रशासनिक मंत्रालय इन प्रपत्रों को अपनी ओर से स्थानीय/क्षेत्रीय अधिकारियों अर्थात संवितरण अधिकारियों को भेज देते हैं। इन प्रपत्रों में अनुमान तथा अन्य अपेक्षित सूचनाएँ भरनी होती हैं और इनमें से प्रत्येक में निम्नलिखित स्तंभ होते हैं–

- पिछले वर्ष के वास्तविक आँकड़े
- चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट अनुमान
- चालू वर्ष के संशोधित अनुमान
- अगले वर्ष के प्रस्तावित अनुमान (किसी बढ़ोत्तरी या कमी के कारण सहित)
- चालू वर्ष के लिए उपलब्ध वास्तविक आँकड़े (अनुमान तैयार करते समय)
- पिछले वर्ष की संगत समयावधि के वास्तविक आँकड़े

विभागों तथा मंत्रियों द्वारा संवीक्षा एवं समेकन

संवितरण अधिकारियों से अनुमान प्राप्त करने के बाद विभागीय प्रमुख संपूर्ण विभाग के लिए इनकी संवीक्षा और समेकन करते तथा प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत कर देते हैं। प्रशासनिक मंत्रालय अपनी साझा नीति के प्रकाश में इन अनुमानों की संवीक्षा और पूरे मंत्रालय के लिए इनका समेकन करता है तथा वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले के विभाग के बजट प्रभाग) को प्रस्तुत कर देता है।

वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा

प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त अनुमानों की संवीक्षा व्यय की मितव्ययता और आय की उपलब्धता के दृष्टिकोण से वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। 'स्थायी परिव्ययों' के मामले में यह संवीक्षा नाममात्र की, किंतु व्यय की नई मदों के मामले में अधिक कड़ी होती है।

विवादों का निपटारा

बजट अनुमानों में किसी योजना को शामिल करने के प्रश्न पर यदि प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच मतभेद होता है तो प्रशासनिक मंत्रालय ऐसी योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रख सकता है, जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम होता है।

वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन

इसके पश्चात वित्त मंत्रालय व्यय पक्ष के बजट अनुमानों को समेकित करता है। फिर अनुमानित व्ययों के आधार पर वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड के परामर्श से राजस्व अनुमान तैयार करता है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की सहायता आयकर विभाग तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग करते हैं।

मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन

वित्त मंत्रालय समेकित बजट को मंत्रिमंडल के सामने रखता है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद ऐसे बजट को संसद में रखा जा सकता है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि बजट गोपनीय दस्तावेज है और संसद में प्रस्तुत होने से पहले इसे बाहर नहीं आना चाहिए।

प्रभारित व्यय (Charged Expenditure)

वित्त मंत्रालय जिन बजट अनुमानों को संसद में प्रस्तुत करने के लिए अंतिम रूप देता है उनमें दो प्रकार के व्यय होते हैं—भारत के समेकित कोष से 'प्रभारित' व्यय और ऐसे व्यय जो इस संचित निधि से 'किए जाते' हैं। संसद प्रभारित व्यय पर मतदान नहीं कर सकती अर्थात संसद इस पर केवल चर्चा कर सकती है जबकि दूसरे प्रकार के व्यय पर संसद में मतदान होना जरूरी है। प्रभारित व्यय की सूची निम्न हैं–

(i) राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ और भत्ते तथा उसके कार्यालय संबंधी अन्य खर्चे।
(ii) राज्य विधान सभाओं के सभापतियों तथा उपसभापतियों एवं लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।
(iii) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन।
(iv) उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों की पेंशनें जिनके न्यायक्षेत्र में भारत का कोई भी क्षेत्र शामिल है।
(v) नियंता एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन।
(vi) संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशनें।

(vii) सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय और संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं पेंशनों सहित उनके प्रशासनिक खर्चे।

(viii) वे ऋण प्रभार जिनकी देय भारत सरकार पर है। इनमें ब्याज और कर्ज उठाने संबंधी निक्षेप धन प्रभार, ऋण मोचन प्रभार तथा इन जैसे अन्य खर्च और ऋण सेवा तथा मोचन (redemption) खर्चे शामिल हैं।

(ix) किसी न्यायालय या मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के किसी निर्णय, आदेश अथवा अधिनियम की पूर्ति के लिए आवश्यक कोई धनराशि।

(x) संसद द्वारा घोषित इस प्रकार से प्रभारित कोई अन्य व्यय।

बजट अधिनियमन (Enactment of Budget)

'बजट अधिनियमन' का अर्थ है-संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अभिपुष्ट बजट की स्वीकृति अर्थात प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों के वार्षिक वित्तीय विवरण की स्वीकृति। इससे सरकारी प्राप्तियों और खर्चों को वैधानिकता मिल जाती है। इसका अर्थ है कि बजट के अधिनियम के बिना सरकार न तो धन एकत्र कर सकती है और न ही खर्च।

आम बजट और रेल बजट दोनों पर यह कार्यविधि भी लागू होती है।

संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provisions)

बजट अधिनियम के संबंध में भारत के संविधान में निम्नलिखित उपबंध हैं–

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों के विवरण को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। इसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (धारा 112) कहा जाता है।

(ii) अनुदान के लिए कोई माँग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जाएगी (धारा 113)।

(iii) भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकाला जा सकेगा सिवाय उसके जो विधि द्वारा निर्मित युक्तिसंगत के अंतर्गत आता है (धारा 114)।

(iv) कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जाएगा, और ऐसे विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा (धारा 117)।

(v) कानून के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जाएगा और न एकत्र किया जाएगा (धारा 265)।

(vi) संसद किसी कर को कम या खत्म तो कर सकती है, पर बढ़ा नहीं सकती।

(vii) बजट अधिनियमन (अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण) के संबंध में संविधान ने संसद के दोनों सदनों की सापेक्ष भूमिका या स्थिति को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है–

(a) कराधान संबंधी किसी धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता। इसको केवल लोकसभा में रखा जाएगा।

(b) अनुदान की माँगों पर राज्यसभा को मतदान का अधिकार नहीं है। यह विशेषाधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है।

(c) राज्यसभा धन विधेयक (वित्त विधेयक) को लोकसभा को चौदह दिन के भीतर वापस कर देगी। राज्यसभा की इससे संबंधित सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है।

(viii) बजट में सम्मिलित व्यय अनुमान भारत की संचित निधि पर से प्रभारित व्ययों को और इस कोष से किए जाने वाले व्ययों को अलग-अलग प्रदर्शित करेंगे (धारा 112)।

(ix) बजट राजस्व खाते पर आने वाले खर्चों तथा अन्य खर्चों में भेद करेगा (धारा 112)।

(x) भारत की संचित निधि से प्रभारित खर्चों को संसद में मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा; परंतु संसद इस पर चर्चा कर सकती है (धारा 113)।

अधिनियम के चरण (Stages in Enactment)

संसद में बजट निम्न पांच चरणों से होकर गुजरता है–

- बजट प्रस्तुतीकरण
- आम बहस
- विभागीय समितियों द्वारा संवीक्षा
- अनुदान माँगों पर मतदान
- विनियोग विधेयक को पारित करना
- वित्त विधेयक पारित करना

बजट प्रस्तुतिकरण

लोकसभा के नियम 213 में व्यवस्था की गई है कि लोकसभा में बजट दो या अधिक भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के समय प्रत्येक भाग को बजट माना जाएगा। तदनुसार बजट दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है – रेल बजट और आम बजट। रेल बजट को आम बजट से पहले रखा जाता है। लोकसभा में रेल बजट, रेल मंत्री द्वारा फरवरी के तीसरे सप्ताह में और आम बजट वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के अंतिम कार्यदिवस में प्रस्तुत किया जाता है।

आम बजट को वित्त मंत्री एक भाषण के साथ प्रस्तुत करते हैं। जिसे 'बजट भाषण' कहा जाता है। लोक सभा में 'बजट भाषण' समाप्त होने पर बजट को राज्यसभा में रखा जाता है जो इस पर केवल चर्चा कर सकती है लेकिन अनुदान मांगों पर मतदान करने का अधिकार नहीं रखती है।

लोकसभा में बजट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते है–

- बजट के संबंध में व्याख्यात्मक प्रलेख
- विनियोग विधेयक
- वित्त विधेयक- कराधान प्रस्तावों सहित
- मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट
- बजट का आर्थिक वर्गीकरण

पहले वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी लोकसभा में रखा जाता था। अब इसे बजट से कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।

आम बहस

बजट पर आम बहस इसके प्रस्तुतीकरण के कुछ दिनों बाद शुरू होती है। आमतौर पर तीन-चार दिन की यह बहस संसद के दोनों सदनों में चलती है। यह एक ब्रिटिश विरासत है। इस चरण के दौरान लोकसभा पूरे बजट पर चर्चा कर सकती है अथवा इसके किसी सैद्धांतिक प्रश्न पर; लेकिन इस दौरान न तो कोई प्रस्ताव पेश हो सकता है और न ही बजट को सदन में मतदान के लिए रखा जा सकता है। बहस के अंत में वित्त मंत्री को इसका जवाब देने का सामान्य अधिकार प्राप्त है।

अनुदान माँगों पर मतदान

बजट पर आम बहस की समाप्ति के बाद लोकसभा अनुदान माँगों पर मतदान की प्रक्रिया आरंभ करती है। मांगों को मंत्रालयों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। विधिवत मतदान होने के बाद माँग अनुदान बन जाती है। इस संदर्भ में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक, अनुदान मांगों पर मतदान का अधिकार केवल लोकसभा को है। दूसरे, मतदान बजट के केवल मतदान योग्य भाग तक सीमित होता है। मतदान के लिए उन खर्चों को प्रस्तुत नहीं किया जाता (जिन पर मात्र चर्चा हो सकती है) जो भारत के समेकित कोष पर प्रभारित होते हैं। आम बजट में जहाँ कुल मिलाकर 109 माँगें (103 नागरिक और 6 प्रतिरक्षा संबंधी खर्चों के लिए) होती हैं, वहीं रेल बजट में 32। प्रत्येक माँग पर अलग-अलग मतदान होता है। इस अवस्था पर सांसद बजट के विवरणों पर चर्चा कर सकते हैं। वे किसी अनुदान माँग को घटाने के प्रस्ताव भी रख सकते हैं। ऐसे प्रस्तावों को 'कटौती प्रस्ताव' भी कहते हैं-ये तीन प्रकार के होते हैं–

नीति अस्वीकृति कटौती प्रस्ताव

यह माँग की नीति की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह कहता है कि माँग की राशि को एक रुपए की राशि तक घटाया जा सकता है (जो कि माँग में एकमुश्त कटौती या फिर माँग में किसी एक मद को शामिल न करना या उसकी कटौती हो सकता है)।

सांकेतिक कटौतियां

यह किसी उस शिकायत को सामने लाती है जो भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र के भीतर है। इसमें माँग की धनराशि को घटाकर 100 रुपए तक किया जा सकता है।

माँगों पर मतदान के लिए कुल मिलाकर 26 दिन दिए जाते हैं। अंतिम, अर्थात 26 वें दिन अध्यक्ष शेष तमाम माँगों को मतदान के लिए प्रस्तुत करता है और उनका निपटारा होता है, चाहे सदस्यों ने उस पर बहस की हो अथवा नहीं। इसको 'समापन' कहते हैं।

विनियोग विधेयक पारित करना

संविधान कहता है–"भारत की संचित निधि से कोई भी धन कानून द्वारा विनियोजन के सिवाय नहीं निकाला जाएगा।" अत: विनियोग विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है ताकि भारत से वह सभी धन निकाला जा सके जो निम्न की पूर्ति के लिए आवश्यक है।

(i) लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदान।

(ii) भारत की संचित निधि पर भारित व्यय।

संसद के दोनों में से किसी भी सदन में विनियोग विधेयक पर ऐसा कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता जो स्वीकृत अनुदान की राशि में परिवर्तन करता हो या उसके गंतव्य स्थान को बदलता हो, अथवा भारत के समेकित कोष से प्रभारित किसी व्यय की धनराशि को घटाता-बढ़ाता हो। राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद विनियोग विधेयक विनियोग अधिनियम बन जाता है। यह अधिनियम भारत के समेकित कोष से भुगतानों को वैधानिक बना देता है। इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक जब तक अधिनियमित नहीं होता तब तक सरकार कोई भी धन भारत के समेकित कोष से नहीं निकाल सकती। इसमें समय लगता है और आमतौर पर यह अप्रैल के अंत तक चलता है लेकिन 31 मार्च के बाद (अर्थात वित्तीय वर्ष के बाद) सरकार को अपने सामान्य कामकाज के लिए धन की जरूरत होती है। इस कार्यात्मक कठिनाई को पार करने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह अधिकार दिया गया है कि अनुदान की माँगों पर मतदान प्रक्रिया पूरे होने और विनियोग विधेयक के पारित होने तक वह वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित खर्च के संदर्भ में कोई अग्रिम अनुदान दे सकती है। इस व्यवस्था

को 'लेखानुदान' कहते हैं। यह बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद पारित किया जाता है। आमतौर पर यह अनुदान दो महीने के लिए होता है और यह अनुदान कुल अनुमान के एक बटा छह हिस्से के बराबर होती है।

वित्त विधेयक पारित करना

लोकसभा के नियम 219 के अधीन 'वित्त विधेयक' का आशय ऐसे विधेयक से है जो अगले वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें किसी भी कालावधि के पूरक वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का विधेयक शामिल होता है। विनियोग विधेयक के विपरीत वित्तीय विधेयक के मामले में, किसी कर को अस्वीकार या कम करने के लिए, संशोधन रखे जा सकते हैं। अंतरिम कर संग्रह अधिनियम, 1931 के अनुसार वित्तीय विधेयक को 75 दिन के भीतर अधिनियमित, अर्थात संसद से पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाना चाहिए।

वित्तीय विधेयक बजट के आय पक्ष को वैधानिकता प्रदान करता है और बजट अधिनियम की प्रक्रिया को पूरा करता है।

अन्य अनुदान (Other Grants)

बजट के अतिरिक्त जिसमें एक वित्त वर्ष की आय और व्यय के सामान्य अनुभाग होते हैं, असाधारण अथवा विशेष परिस्थितियों में संसद अन्य विभिन्न प्रकार के अनुदान पारित करती हैं–

पूरक अनुदान

यह उस समय दिया जाता है जब यह पता चलता है कि चालू वर्ष में किसी सेवा विशेष के लिए विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद द्वारा अधिकृत धनराशि उस वर्ष के लिए पारित है।

अतिरिक्त अनुदान

यह तब दिया जाता है जब चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी ऐसी नई सेवा के लिए अतिरिक्त खर्च की जरूरत पैदा हो जाती है जिसको कि उस वर्ष के बजट में नहीं सोचा गया था।

अधिक अनुदान

यह तब दिया जाता है जब किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उससे अधिक धनराशि खर्च हो गई हो जितनी कि उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए स्वीकृत की गई थी। लोकसभा में इस पर मतदान वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है। अधिक अनुदान की मांगों को लोकसभा में रखे जाने से पूर्व उन पर संसद की सार्वजनिक लेखा समिति की स्वीकृति आवश्यक है।

साख मत (Vote of credit)

यह भारत सरकार के संसाधनों पर किसी अप्रत्याशित माँग की पूर्ति के लिए तब दिया जाता है जब सेवा के विस्तार या उसकी अनिश्चित प्रकृति के चलते माँग के उन विवरणों को बताया नहीं जा सकता जो सामान्यतया बजट में दिए जाते हैं। अत: यह 'कोरे चेक' की तरह होता है जो लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया जाता है।

अपवादी अनुदान

यह विशेष उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। यह किसी वित्त वर्ष की चालू सेवा का अंग नहीं बनता है।

सांकेतिक अनुदान

यह तब दिया जाता है जब किसी नई सेवा हेतु प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था पुनर्विनियोग द्वारा की जा सकती है। लोकसभा में मतदान के लिए एक सांकेतिक धनराशि (1रु) दिए जाने की माँग रखी जाती है और स्वीकृत होने पर धन उपलब्ध करा दिया जाता है।

पूरक, अतिरिक्त, अधिक और अपवादानुदान और साख मत नियमित बजट के मामले में प्रयुक्त प्रक्रिया द्वारा ही नियंत्रित होते हैं।

बजट निष्पादन (Execution of Budget)

'बजट निष्पादन' का अर्थ है-संसद द्वारा बजट के पारित हो जाने के बाद इसको लागू या कार्यान्वित करना। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है-विनियोग विधेयक (व्यय संबंधित) और वित्त विधेयक (आय संबंधित) लागू करना।

बजट का निष्पादन वित्त मंत्रालय के नियंत्रण तथा निर्देश में विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है। अर्थात बजट निष्पादन के संबंध में पूरी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है जो भारत सरकार की केंद्रीय वित्तीय एजेंसी है।

व्यय भाग (Expenditure Part)

वित्त मंत्रालय में वित्तीय अधिकारों के अत्यधिक समेकित रूप ने वित्तीय नियंत्रण को बहुत सख्त बना दिया है। परंतु शक्तियों के प्रत्यायोजन की विभिन्न योजनाओं के द्वारा समय के साथ नियंत्रण कुछ ढीला पड़ा है। इन योजनाओं द्वारा अपने खर्चों के प्रबंधन के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय को कुछ ढील और कुछ प्रचालन स्वतंत्रता दी गई है।

प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के खर्चों पर वित्त मंत्रालय अपना नियंत्रण निम्न उपायों से लागू करता है–

(i) नीतियों और कार्यक्रमों का सैद्धांतिक अनुमोदन।
(ii) बजट अनुमानों में प्रावधान की स्वीकृति।
(iii) व्ययकर्ता प्राधिकरणों अर्थात मंत्रालयों को प्रदत्त शक्तियों के अधीन खर्चों की संस्वीकृति।
(iv) एकीकृत वित्तीय सलाहकार के माध्यम से वित्तीय सलाह उपलब्ध कराना।
(v) अनुदानों का पुनर्विनियोग अर्थात एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में धन का हस्तांतरण।
(vi) आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली।
(vii) व्ययकर्ता प्राधिकरणों द्वारा पालन की जाने वाली वित्तीय संहिता का निर्धारण।

अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा निर्मित तंत्र की संरचना इस है–

i) नियंत्रण अधिकारियों की प्रणाली, जो आमतौर पर मंत्रालय/विभाग प्रमुख होते हैं।
ii) सक्षम प्राधिकारियों की प्रणाली, जो वित्तीय संस्वीकृतियाँ देते हैं।
iii) आहरण एवं संवितरण (drawing and disbursing) अधिकारियों की प्रणाली।
iv) भुगतान एवं लेखा प्रणाली (भुगतान करने और लेखा संकलन के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में भुगतान एवं लेखा कार्यालय स्थापित किए जाते हैं)।

पुनर्विनियोग (Reappropriation) एक कार्यान्वयन कार्य है। इसके लिए वित्त मंत्रालय या उस प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की औपचारिक स्वीकृति लेनी पड़ती है जिसको अपेक्षित शक्तियाँ सौंपी गई हैं। पुनर्विनियोग की अनुमति केवल उसी अनुदान के अंतर्गत है और यह अनुमति निम्नलिखित मामलों में नहीं दी जा सकती है–

(i) खर्चों की दत्तमत और प्रभारित मदों (Voted and charged items) के बीच।
(ii) उस नई सेवा पर खर्च की पूर्ति के लिए जिसकी व्यवस्था बजट में नहीं की गई है।
(iii) लोकसभा द्वारा दत्तमत विभिन्न अनुदानों के बीच।
(iv) उस किसी खर्च की पूर्ति के लिए जिसे लोकसभा या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी ने संस्वीकार नहीं किया है।
(v) उस किसी खर्च की पूर्ति के लिए जिसका परिव्यय किसी भावी वित्त वर्ष में होता हो (आकस्मिक खर्च के अलावा)।
(vi) बजट के राजस्व और पूँजी भागों के बीच।

एकीकृत वित्तीय सलाहकार योजना 1974 में सबसे पहले जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय में प्रयोग के तौर पर लागू की गई थी और 1975-76 के दौरान इसका विस्तार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में कर दिया गया। इसके अंतर्गत प्रशासनिक मंत्रालयों में एकीकृत वित्तीय सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं।

एकीकृत वित्तीय सलाहकार संयुक्त या अतिरिक्त सचिव की श्रेणी का होता है। उसका चयन प्रशासनिक मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है और उसकी गोपनीय रिपोर्ट संयुक्त रूप से दोनों मंत्रालयों द्वारा लिखी जाती है। वह दोनों मंत्रालयों के दोहरे नियंत्रण में रहता है और दोनों के प्रति जवाबदेह होता है। बढ़े हुए प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों को लागू करने में वह प्रशासनिक मंत्रालय की सहायता करता है, परंतु, प्रत्यायोजित अधिकारों एवं कार्यों के संबंध में मंत्रालय सचिव द्वारा उसकी सलाह को अस्वीकार किया जा सकता है। लेकिन प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के बाहर वह वित्त मंत्रालय के सामान्य निर्देश के अधीन काम करता है और वित्त सचिव तक उसकी सीधी पहुँच होती है। उसकी शक्तियाँ/अधिकार और कार्य निम्नलिखित हैं–

(i) बजट तैयार करना।
(ii) वित्त मंत्रालय की संस्वीकृति के लिए परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा।
(iii) बजट-पश्चात की सतर्कता।
(iv) मंत्रालय के लिए निष्पादन बजट का निरूपण और योजनाओं की प्राप्ति की निगरानी करना।
(v) सचिव, जो मंत्रालय का मुख्य लेखा प्राधिकारी होता है, को उत्तरदायित्व का पालन करने में अपनी सहायता करना।

राजस्व/आय भाग (Revenue Part)

राजस्व पक्ष में बजट निष्पादन के अंतर्गत आते हैं–(ए) राजस्वों का संग्रह, (बी) संग्रहीत धनराशियों की रक्षा और (सी) धनराशियों का वितरण।

राजस्व संग्रह निम्न चरणों में होता है–

(i) कर प्रशासन के लिए उपयुक्त तंत्र का निर्माण और कार्यविधि का निर्धारण।
(ii) कर निर्धारण अर्थात उन लोगों की सूची तैयार करना जो कर के लिए देय है और उनके द्वारा अदा की जाने वाली राशि तय करना।
(iii) आपत्तियों तथा अपीलों की सुनवाई की व्यवस्था करना।
(iv) संग्रह अर्थात विभिन्न निर्धारित रीतियों से देय राशि की वसूली।
(v) बकाया राशियों की नकद सिद्धि करना अर्थात बकायदारों से निपटना।

कर संग्रह का प्रभारी तंत्र पूरी तरह से वित्त मंत्रालय के नियंत्रण और देखरेख में काम करता है। करों का संग्रह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पादन शुल्क एवं कस्टम बोर्ड के माध्यम से किया जाता है।

राशियों के आहरण और वितरण (custody and distribution) में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भारतीय स्टेट बैंक, जिला कोषागार(लगभग 300)और उपकोषागार(लगभग 1200) संलग्न हैं। भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए तीन प्रकार की राशियों/निधियों की व्यवस्था करता है–

(i) भारत की संचित निधि (धारा 266)
(ii) भारत की सार्वजनिक लेखा(धारा 266)
(iii) भारत की आकस्मिकता निधि (धारा 267)

भारत की संचित निधि

इस कोष में सारी प्राप्तियों को जमा और सारे भुगतानों को व्यय में डाला जाता है। दूसरे शब्दों में, (i)भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व; (ii)जारी किए गए राजकोष बिलों, ऋणों अथवा अग्रिम राशियों के उपायों या माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए तमाम कर्जे, और (iii)ऋणों की अदायगी के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ भारत की संचित निधि का निर्माण करेंगी। सरकार की ओर से किए जाने वाले सभी वैधानिक रूप से अधिकृत भुगतान इसी कोष से किए जाते हैं। इस कोष से किसी भी राशि का विनियोग (जारी करना या निकालना)संसदीय कानून के अनुसार ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

भारत का सार्वजनिक लेखा

भारत सरकार द्वारा या इसकी ओर से प्राप्त तमाम अन्य सार्वजनिक राशियाँ (उनके अलावा जो भारत की संचित निधि में जमा की जाती हैं)भारतीय सार्वजनिक लेखा में जमा की जाएँगीं। उनमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत खाता जमा, विभागीय जमा और प्रेषित जमा इत्यादि शामिल हैं। इस खाते का संचालन कार्यपालक कार्यवाही द्वारा किया जाता है अर्थात, इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किए जा सकते हैं। भुगतानों की प्रकृति प्राय: बैकिंग लेन-देन की होती है।

भारत की आकस्मिकता निधि

संविधान ने संसद को एक 'भारत की आकस्मिकता निधि' की स्थापना के लिए अधिकृत किया है जिसमें समय-समय पर कानून द्वारा निर्धारित राशियाँ जमा की जाएँगी। तदनुसार 1950 में संसद ने भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम पारित किया। इस निधि को राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा गया। वह संसद द्वारा प्राधिकृत करने से पूर्व, अनदेखे खर्चे की पूर्ति के लिए इसमें से पेशगी दे सकता है। राष्ट्रपति की ओर से यह निधि वित्त सचिव के अधीन रहती है। भारतीय सार्वजनिक लेखा निधि की तरह इसका संचालन भी कार्यकारी कार्यवाही द्वारा होता है।

घाटे का वित्त प्रबंध (Deficit Financing)

आधुनिक राज्यों में आर्थिक विकास का वित्त पोषण करने के लिए कोष जुटाने के विभिन्न स्रोत इस प्रकार हैं– (i) कराधान, (ii) जनता से उधारी, (iii) सरकारी बचतें (iv) सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का अधिशेष, (v) घाटे का वित्त प्रबंध, और (vi) विदेशी सहायता।

कराधान और सार्वजनिक उधारी आदि से सरकार जब पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाती है, तब अपने विकास संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए यह घाटे के वित्त प्रबंध का सहारा लेती है।

अर्थ (Meaning)

सामान्यतया घाटे का वित्त प्रबंध उस सार्वजनिक खर्च को इंगित करता है जो चालू सार्वजनिक राजस्व से अधिक होता है। पश्चिमी देशों और अमरीका में 'घाटे का वित्त प्रबंध' शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है जबकि भारत में संकीर्ण अर्थ में। पश्चिमी देशों और अमरीका में सरकारी खर्च के लिए धन सार्वजनिक उधारों से; अर्थात जनता, व्यावसायिक बैंकों और केंद्रीय बैंक से जुटाया जाता है और इसको घाटे के वित्त प्रबंध में शामिल किया जाता है।

दूसरी ओर, भारत में खर्चे का वित्त पोषण जनता से उधार लेकर किया जाता है और व्यावसायिक बैंकों को घाटे के वित्त प्रबंध से बाहर रखा जाता हैं। इसको बाज़ार की उधारी कहते हैं।

योजना आयोग के अनुसार भारत के घाटे के वित्त प्रबंध में निम्न चीजें आती हैं–

(i) पिछली शेष संचित रोकड़ को सरकार द्वारा निकाला जाना
(ii) केंद्रीय बैंक अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण; और
(iii) नई मुद्रा जारी करना।

मिश्रा और पुरी कहते हैं–"सरकार जब ऋण रिजर्व बैंक से लेती है तो यह बैंक को अपनी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण मात्र करती है। इन प्रतिभूतियों के आधार पर बैंक सरकार की ओर से नए नोट जारी करती है तथा उनको परिचालन में लाती है और इसके फलस्वरूप मुद्रा पैदा होती है। संक्षेप में, भारतीय संदर्भ में घाटे के वित्त प्रबंध का कुछ परिणाम यह होता है कि बजट के घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा जारी नई मुद्रा से मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है।

अवधारणाएं (Concepts)

भारत सरकार घाटे की वित्त प्रबंध संबंधी निम्न पाँच अवधारणाओं को मान्यता देती है–

1. राजस्व घाटा

जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। सरकार के राजस्व व्यय में उन मदों पर खर्च हुए वे संसाधन आते हैं जो परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते; जैसे कि नागरिक प्रशासन, प्रतिरक्षा, कानून-व्यवस्था, न्याय, ब्याज भुगतान तथा अनुदानों इत्यादि पर हुए खर्चे। सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर-राजस्व तथा गैर-कर राजस्व आते हैं।

2. बजट घाटा

जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक होता है तो इसे बजट घाटा कहते हैं। सरकार के बजट घाटे में राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय, दोनों शामिल होते हैं। इसी प्रकार सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों आती हैं।

3. वित्तीय घाटा

1950 से सरकार ने घाटे की उपरोक्त दो अवधारणाओं को मान्यता दी है। 1986 में एक तीसरी अवधारणा को मान्यता मिली। इसे वित्तीय घाटा कहा गया। इसकी सिफारिश सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी (1982-85) ने की थी। इस कमेटी का गठन भारत में मुद्रा प्रणाली की कार्यपद्धति की समीक्षा करने के लिए किया गया था। वित्तीय घाटा, बजट घाटे और सरकार की बाजार में उधारी तथा अन्य देयताओं के कुल जोड़ को बताता है। यह सरकार के द्वारा आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्रोतों से उधार लेने की कुल आवश्यकताओं को मापता है।

4. प्राथमिक घाटा

यह उस वित्तीय घाटे को इंगित करता है जिसमें से सरकार द्वारा अदा किए गए ब्याज को घटा दिया जाता है। इसको ब्याज-रहित घाटा भी कहते हैं। इस धारणा को हाल ही में लागू किया गया था।

5. मुद्रीकृत घाटा (Monetised Deficit)

बजट घाटे की पूर्ति दो प्रकार से की जा सकती है; अर्थात जनता से कर्ज लेकर अथवा रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से कर्ज लेकर। जब इसकी पूर्ति या वित्त पोषण रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से किया जाता है तब इसे मुद्रीकृत घाटा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इससे सरकार पर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के शुद्ध ऋण में बढ़ोत्तरी होती है।

भूमिका (Role)

आधुनिक राज्यों ने घाटे के वित्त प्रबंध का सहारा तीन विभिन्न परिस्थितियों में लिया है–

1. मंदी

यूरोप के विकसित देशों और अमरीका ने घाटे के वित्त प्रबंध का सहारा उन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक की महामंदी के दौरान आम बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए लिया था। पूँजीवादी देशों में बार-बार आने वाली मंदी से लड़ने और आम बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए घाटे के वित्त प्रबंध का सुझाव जे.एम.कींस ने दिया था। उनका विचार था कि विकसित देश में बेरोजगारी का मुख्य कारण प्रभावी माँग (वस्तुओं की) का अभाव होना है और यह उपयोग की प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए कींस के अनुसार सरकार को लोगों से 'कुएँ खोदने और कुएँ भरने' को कहना चाहिए। इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है और परिणामस्वरूप चीजों की माँग में बढ़ोतरी होती है। आगे चलकर इससे रोजगार की स्थिति बेहतर होती है। फिर चीजों की माँग और बढ़ती है और इसलिए रोजगार बढ़ते है और यह चक्र चलता रहता है। कींस ने इसे 'प्रवर्धक प्रभाव' (Multiplier effect) कहा था। इस उपाय से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है और उसे मंदी की दलदल से निकाला जा सकता है।

2. आर्थिक विकास

भारत जैसे विकासशील देशों ने आर्थिक विकास हेतु धन जुटाने के लिए घाटे के वित्त प्रबंध का सहारा लिया है। उसका कारण यह है कि विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए सार्वजनिक निवेश का वित्तपोषण करने के पर्याप्त संसाधन उन देशों के पास नहीं हैं। घाटे के वित्त प्रबंध से आर्थिक विकास के लिए तेजी से पूँजी निर्माण में मदद मिलती है। यह अर्थव्यवस्था की रुकावटों और संरचनात्मक अनम्यताओं को तोड़ता है और इस प्रकार उत्पादकता में वृद्धि करता है। इसलिए अर्थव्यवस्था में निवेश, रोजगार और उत्पादन के लिए वित्त पोषण कर यह आर्थिक विकास में तेजी लाता है; परंतु अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव चीजों और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी के रूप में प्रकट होता है। इसका कारण यह है कि घाटे का वित्त प्रबंध अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को तो बढ़ा देता है परंतु चीजों और सेवाओं की आपूर्ति में तदनुसार वृद्धि नहीं होती है। घाटे के वित्त प्रबंध की प्रकृति के कारण लोगों के निवेश का प्रतिरूप बदल जाता है जिसके परिणामस्वरूप लोग मजबूरन बचत करने लगते हैं। इससे भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आर्थिक असमानताएँ बढ़ती हैं, बैंकों द्वारा ज्यादा ऋण दिए जाने लगते हैं।

3. युद्ध

आधुनिक राज्यों ने घाटे के वित्त प्रबंध का सहारा युद्धों के लिए लिया है। सरकार द्वारा करों और उधारियों से जुटाए गए संसाधन युद्ध की लागत को पूरा नहीं करते हैं। अत: अधिक नोट छापकर नई मुद्रा पैदा करने के अलावा सरकारों के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। इस युद्ध घाटे के वित्त प्रबंध से बाजार में भारी मात्रा में मुद्रा आ जाती हैं जिससे लोगों की आय मुद्रा में बढ़ जाती है और चीजों की माँग भी। इसके फलस्वरूप चूँकि चीजों की आपूर्ति में तदनुसार बढ़ोत्तरी नहीं होती, अत: मुद्रास्फीति बढ़ जाती है।

सुरक्षित सीमा (Safe Limit)

घाटे का वित्त प्रबंधन एक अपरिहार्य बुराई है। एक ओर तो यह आर्थिक विकास के लिए जरूरी है तो दूसरी ओर अपनी प्रकृति से ही यह मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला है। अत: इसको सुरक्षित सीमा के भीतर रखना आवश्यक है ताकि इससे पूँजी निर्माण तो हो परंतु कीमतों में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी न हो। घाटे के वित्त प्रबंध की सुरक्षित सीमा का निर्धारण करने वाले विभिन्न कारक (अथवा घाटे के वित्त को सुरक्षित सीमा में रखने के विभिन्न उपाय) निम्न हैं–

1. ऊँचे कराधान और ऋणों में बढ़ोत्तरी करके अतिरिक्त धन को जमा करने के कारगर प्रयास करने चाहिए।
2. अर्थव्यवस्था में प्रविष्ठ किए जाने वाले धन की मात्रा अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर की सीमा के भीतर होनी चाहिए।
3. नव सृजित मुद्रा का प्रयोग सिंचाई, औद्योगिक विकास आदि जैसे उत्पादक उद्द्देश्यों केलिए किया जाना चाहिए।
4. घाटे के वित्त प्रबंध के द्वारा प्रवाहित धन का प्रयोग उन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए जिनके परिणाम जल्दी प्राप्त होते हैं। इससे चीजों की आपूर्ति में वृद्धि शीघ्रता से हो सकेगी और महँगाई रुकेगी।
5. अर्थव्यवस्था के गैर-मुद्रीकत क्षेत्र(विनिमय क्षेत्र) को मुद्रीकृत क्षेत्र में लाने के प्रयास करने चाहिए।
6. राशनिंग के माध्यम से चीजों की कीमतों को कारगर ढंग से नियंत्रित और चीजों को वितरित करना चाहिए।
7. पूँजीगत उपकरणों, औद्योगिक कच्चे मालों और खाद्यान्न के आयात को बढ़ावा देना चाहिए और ऐशो-आराम तथा इससे जुड़ी चीजों के आयात को हतोत्साहित करना चाहिए।
8. लोगों में बलिदान की भावना होनी चाहिए। उनको उन नीतियों को लागू करने में सहयोग देना चाहिए जिनका उद्द्देश्य पूँजी निर्माण हेतु घाटे के वित्त प्रबंध के कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है।
9. सरकार को निजी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक प्रोत्साहन देने चाहिए।
10. बैंकों द्वारा साख निर्माण में वृद्धि को नियमित करने के लिए साख निर्माण नीतियों को घाटे के वित्त प्रबंध के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक ऋण (Public Debit)

आधुनिक सरकार द्वारा संसाधन जुटाने का एक उपाय है-सार्वजनिक ऋण।

सरकार के बढ़े हुए खर्चों की पूर्ति उस आय से नहीं होती जो करों तथा अन्य संसाधनों को जुटाकर प्राप्त की जाती है। कराधान से राजस्व या आय में बढ़ोतरी एक सीमा से अधिक नहीं की जा सकती है जबकि सुरक्षित सीमा से बाहर जाने पर घाटे का वित्त प्रबंध मुद्रास्फीति बढ़ाता है। अत: विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार को सार्वजनिक ऋण का सहारा लेना पड़ता है।

अर्थ (Meaning)

सार्वजनिक ऋण वह उधारी है जो सरकार जनता से, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों इत्यादि से लेती है। इस संबंध में निम्नलिखित परिभाषाओं को नोट किया जा सकता है–

***फिलिप ई. टेलर*—**"ऋण ऐसे वचन के रूप में होते हैं जिनके द्वारा सरकारी कोषागार इन वचनपत्रों (रुक्कों) के धारकों को मूल राशि और अधिकांश मामलों में, मूल पर ब्याज अदा करने का वचन देते हैं।"

***आर. मुसग्रेव और पी. मुसग्रेव*—**"सार्वजनिक ऋण में निकासी शामिल होती है जो किसी भावी तिथि पर और बीच के काल में ब्याज अदा करने के सरकारी वचन के बदले में की जाती है।"

***जे. के. मेहता*—**सार्वजनिक ऋण उन व्यक्तियों को पैसा लौटाने, जिनसे यह लिया गया है, के सरकार की ओर से दिए गए वचन के साथ होता है।"

सार रूप में, सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा लिया गया वह ऋण है जो वह संसाधन जुटाने के लिए कर्जों के रूप में लेती है जिनको किसी भावी तिथि पर ब्याज सहित अदा किया जाना होता है।

वर्गीकरण (Classification)

सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण निम्न तरीकों से किया जाता है–

1. आंतरिक एवं बाहृय

सरकार जब देश के भीतर से ऋण लेती है, तब इसे आंतरिक ऋण कहते हैं और दूसरी ओर जब यह ऋण देश के बाहर से लेती है तब उसको बाहृय ऋण कहा जाता है। सरकार आंतरिक ऋण व्यक्तियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, वित्तीय संस्थाओं, व्यावसायिक

बैंकों तथा केंद्रीय बैंक से लेती है। विदेशों से; विदेशी बैंकों, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सरकार बाह्य ऋण लेती है। आंतरिक ऋण के विपरीत बाह्य ऋण के मामले में ऋणी देश को भौतिक नुकसान होता है।

2. स्वैच्छिक एवं अनिवार्य

उधार लेने के लिए सरकार ऋणपत्र जारी करती है जिनको लेना या न लेना लोगों की इच्छा पर होता है, तब इसे स्वैच्छिक ऋण कहते हैं। दूसरी ओर सरकार उधारी को जब कानूनी अनिवार्यता के द्वारा लागू करती है तब इसे अनिवार्य ऋण कहा जाता है। सार्वजनिक ऋण आमतौर पर स्वैच्छिक प्रकृति के होते हैं। सरकार अनिवार्य ऋण का सहारा असाधारण परिस्थितियों में ही लेती है, जैसे कि युद्ध, अकाल अथवा मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए।

3. उत्पादक और अनुत्पादक

उत्पादक ऋण वे होते हैं जिन्हें सरकार उन परियोजनाओं के लिए लेती है जिनसे उसको आमदनी होती है। उदाहरण के लिए विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ, सिंचाई परियोजनाएँ, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों तथा रेलवे के लिए ऋण। उन परिसंपत्तियों से अर्जित आय का उपयोग ऋण के मूल और ब्याज की अदायगी के लिए किया जाता है। दूसरी ओर, अनुत्पादक ऋण न तो सरकार की कोई आमदनी करता है और न ही किसी परिसंपति का निर्माण करता है। इस प्रकार के ऋण बजट के घाटे को पूरा करने, अथवा युद्ध, अकाल और सूखा इत्यादि के लिए धन जुटाने हेतु किए जाते हैं। इन दो प्रकार के ऋणों को हिक्स क्रमशः सक्रिय ऋण और अनुपयोगी भार (dead wight) ऋण कहते हैं।

4. निधि ऋण एवं अनिधि ऋण (Funded & Nonfunded)

निधि ऋण दीर्घ कालिक होता है जिसकी अदायगी एक वर्ष बाद होती है जबकि अनिधि ऋण अल्पकालिक होता है जिसकी अदायगी एक वर्ष के भीतर होती है। पहला ऋण स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करने हेतु लिया जाता है जबकि दूसरे ऋण को बजट के अस्थायी अंतर को पाटने के लिए लिया जाता है। अनिधि ऋण को प्लवमान ऋण (floating) कहते हैं और इसमें विनियोग पत्र तथा केंद्रीय बैंक से अर्थोपाय (ways & means) अग्रिम प्राप्तियाँ आदि आती हैं।

5. विमोच्य एवं अविमोच्य (Redeemable & Irredeemable)

सरकार जब पैसा इस वादे के साथ उधार लेती है कि वो भविष्य में किसी निर्दिष्ट तिथि पर अदा कर दिया जाएगा तो उसे विमोच्य ऋण कहते हैं। दूसरी ओर जब सरकार पैसा भविष्य में अदा करने के इरादे के बिना लेती है तो इसे अविमोच्य ऋण कहा जाता है। ऐसे ऋणों को क्रमशः समापनीय और परस्थायी भी कहा जाता है।

एक ऐसी स्थिति भी आती है जब उधारी का सहारा कर्ज अदायगी मात्र के लिए लिया जाता है। उस स्थिति को 'ऋण जाल' (debt trap) कहते हैं। ऋण सेवा या अदायगी के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज और उनकी किश्तों की अदायगी शामिल है। 'ऋण जाल' आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है।

विमोचन (Redemption)

सार्वजनिक ऋण को चुकाने का अर्थ होता है—विमोचन। इसकी विभिन्न पद्धतियाँ हैं—

1. वापसी

उस पद्धति में परिपक्व ऋणों की वापसी के लिए सरकार नए बाँड और प्रतिभूतियाँ जारी करती है। दूसरे शब्दों में, परिपक्व या पुराने ऋणों के स्थान पर नए ऋण ले लेते हैं। अतः ऋण का बोझ खत्म नहीं होता, बल्कि ऋण वापसी को स्थगित करने से यह जमा होता रहता है।

2. समापनीय वार्षिकियाँ (Terminable Annuties)

इस पद्धति में सार्वजनिक ऋण की वापसी बराबर की किश्तों में की जाती है। सरकार ऋण के एक अंश की वापसी हर वर्ष समापनीय वार्षिकियाँ जारी करके करती हैं। इस प्रकार ऋण हर वर्ष कम होता जाता और अंततया पूरी तरह समाप्त हो जाता है।

3. संपरिवर्तन (Conversion)

ब्याज की दर गिरने की स्थिति में सरकार पुराने ऋण को नए में परिवर्तित कर देती है और इस तरह ब्याज के भुगतान को कम कर देती है। यह अनिवार्य अथवा स्वैच्छिक हो सकता है। वापसी के विपरीत संपरिवर्तन के अंतर्गत ब्याज की दर सहित ऋण की शर्तों में भी परिवर्तन होता है। संपरिवर्तन की इस प्रक्रिया को डाल्टन 'आंशिक अस्वीकरण' (Partial repudiation) कहते हैं।

4. निक्षेप निधि (Sinking Fund)

यह 'ऋण विमोचन' को इंगित करता है। उसके अंतर्गत ऋण वापस करने के लिए सरकार प्रतिवर्ष एक अलग कोष का निर्माण करती है और धीरे-धीरे इसका संचयन करती है। हालाँकि वापसी की यह सबसे व्यवस्थित पद्धति है, परंतु यह एक धीमी प्रक्रिया है और वित्तीय संकट के दौरान सरकार इसका अतिक्रमण कर सकती है।

5. नए कराधान

इस पद्धति में पुराने ऋणों की अदायगी के लिए सरकार नए कर लगाकर धन एकत्र करती है। यह करदाताओं से संसाधन लेकर बाँड धारकों को दे देती हैं और इस तरह समाज में आय और संपदा का पुनर्वितरण कर देती है।

6. पूँजीगत उगाही (Capital levy)

यह एक विशेष 'विमोचन उगाही' का संकेत देती है। इस पद्धति के अंतर्गत लोगों की संपत्ति और संपदा पर अकेला परंतु भारी कर लगाया जाता है और इस उगाही से एक ही बार में सारे ऋण पूरी तरह से समाशोधित कर दिए जाते हैं। यह उगाही आमतौर पर युद्ध के अनुत्पादक ऋणों की अदायगी के लिए की जाती हैं। इसकी विशेषता यह है कि इससे देश भविष्य में ब्याज अदा करने के बोझ से मुक्त हो जाता है।

7. बचत का बजट

बचत के बजट (अर्थात जब आय व्यय से अधिक हो) में सरकार के पास कुछ धन बचता है जिसका प्रयोग ऋणों की अदायगी के लिए किया जा सकता है। बचत का बजट दो तरह से हो सकता है, (1)भारी कर लगाकर, या (2) सरकारी खर्चों में कमी करके।

8. अधिशेष भुगतान संतुलन

बाह्य ऋण की अदायगी के लिए अधिशेष भुगतान संतुलन की जरूरत होती है। अत: निर्यात बढ़ाकर और आयात में कमी करके सरकार को आवश्यक विदेशी मुद्रा संचित करनी चाहिए। अस्थायी रूप से बाहर के ऋणों की वापसी बाहर से नए ऋण लेकर की जा सकती है।

9. मुद्रा विस्तार

इस पद्धति में सरकार ऋणों का भुगतान करने के लिए अधिक मुद्रा छापती है। इससे मुद्रास्फीति पैदा होती है और स्थिर धन के मूल्य के दावे नष्ट होते हैं। इस पद्धति का प्रयोग जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध (1914-18)के दौरान किया था।

10. अस्वीकरण

इसके अंतर्गत सरकार ब्याज या मूल अथवा दोनों को अदा करने से इनकार कर देती है। दूसरे शब्दों में, सरकार लिए हुए ऋणों की अदायगी के प्रति अपने दायित्व को स्वीकार नहीं करती है। 1917 में सोवियत संघ ने अपने तमाम आंतरिक और बाह्य ऋणों को अदा करने से इनकार कर दिया था।

बोझ (Burden)

सार्वजनिक ऋण एक बोझ है क्योंकि इसको ब्याज सहित वापस करना होता है। सार्वजनिक ऋण के बोझ का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन किया जा सकता है-

1. प्रत्यक्ष

आंतरिक ऋण से पूरे समाज पर कोई प्रत्यक्ष आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। इससे समाज के भीतर संपति केवल उधर से उधर होती है। अन्य शब्दों में, ब्याज के भुगतान से समाज के एक हिस्से की क्रय शक्ति दूसरे हिस्से के पास पहुँच जाती है। अत: धन के तमाम भुगतान अर्थात करदाताओं द्वारा अदा किए गए कर और बाँड धारकों द्वारा प्राप्त धनराशियाँ, निरस्त हो जाते हैं।

दूसरी ओर बाह्य ऋण का आर्थिक बोझ प्रत्यक्ष होता है। ऋणी देश, ऋण देने वाले देश को ब्याज और मूल धनराशियाँ अदा करता है। दूसरे शब्दों में, नागरिकों की क्रयशक्ति विदेशियों को स्थानांतरित हो जाती है। बाह्य ऋण का प्रत्यक्ष आर्थिक भार ऋण के आकार के अनुसार कम-ज्यादा होता है।

2. अप्रत्यक्ष

आंतरिक ऋण समाज पर अप्रत्यक्ष आर्थिक बोझ डालता है। सरकार द्वारा किए गए उत्पादक व्यय से माल और सेवाओं की माँग पैदा होती है। इसके कारण उनकी कीमतों में वृद्धि होने से समाज पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अप्रत्यक्ष आर्थिक बोझ बाह्य ऋण का भी पड़ता है। ऋणी देश ऋणदाता देश को ब्याज का भुगतान वस्तुओं के रूप में करता है जिससे समाज की आर्थिक सुख-सुविधाओं में कमी आती है क्योंकि इसके कारण देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं।

3. प्रत्यक्ष वास्तविक बोझ

आंतरिक ऋण से आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होती है और इससे समाज पर वास्तविक आर्थिक बोझ पड़ता है। ऋणदाताओं को ब्याज और मूलधन अदा करने के उद्देश्य से सरकार लोगों से कर वसूलती है। उससे निर्धन करदाताओं की क्रय शक्ति कम होती है और धनी लोगों (समाज के ऋणदाता हिस्सों) की क्रय शक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार बाह्य ऋण का भी समाज पर प्रत्यक्ष वास्तविक प्रभाव पड़ता है।

4. अप्रत्यक्ष वास्तविक बोझ

आंतरिक ऋण समाज पर अप्रत्यक्ष वास्तविक बोझ डालते हैं। इसके फलस्वरूप आर्थिक असमानताओं के बढ़ने से लोगों की काम और बचत करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे लोगों की उत्पादक क्षमता घटती है।

बाह्य कर की अदायगी के लिए अतिरिक्त कर थोपे जाने से भी समाज पर इसी प्रकार का अप्रत्यक्ष वास्तविक बोझ पड़ता है।

लेखा (Accounts)

अर्थ (Meaning)

वित्तीय प्रशासन में 'लेखा' शब्द की व्याख्या इस रूप में की गई है कि यह "मौद्रिक मूल्य रखने वाले धन या वस्तुओं से संबंधित तथ्यों का विवरण है।" जिन तथ्यों को लेखा के अभिलेखों में शामिल किया जाता है उनको 'लेनदेन' कहते हैं। अत: लेखा विधि का अर्थ है-वित्तीय लेन-देन का व्यवस्थित अभिलेख रखना। इसके अंतर्गत वित्तीय प्रकृति के लेन-देन का एकत्रण, अंकन, वर्गीकरण तथा सार प्रस्तुतीकरण और उनके परिणामों का अर्थ लगाना शामिल है।

लेखा विधि के तीन उद्देश्य हैं–(i) कोष सँभालने वालों की विश्वसनीयता का निर्धारण; (ii) नीति निर्धारण एवं प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय स्थितियों तथा कार्यों से संबंधित सूचनाएँ प्रदान करना; और (iii) व्यय को बजटीय प्रावधानों एवं सीमाओं के भीतर रखना।

एल.डी.व्हाइट के अनुसार व्यवस्थित लेखा के प्रमुख कार्य तीन हैं–

(i) वित्तीय अभिलेख तैयार करना।
(ii) कोष सँभालने वालों की रक्षा करना।
(iii) संगठन एवं उसकी सभी शाखाओं में वित्तीय शर्तों को प्रकट करना।
(iv) व्यय की दरों में आवश्यक संशोधनों को बढ़ावा देना।
(v) उत्तरदायी पदों पर बैठे लोगों को जानकारी देना जिसके आधार पर भविष्य के लिए वित्तीय और कार्यकारी कार्यक्रमों को बनाया जा सके।
(vi) लेखापरीक्षा में सहायता करना।

लेखापरीक्षा से लेखा का पृथकीकरण (Separation of Accounts from Audit)

1976 तक लेखाविधि और लेखापरीक्षण कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से जुड़े थे। दूसरे शब्दों में, वह लेखा के संग्रहण तथा रखरखाव के साथ उनका लेखापरीक्षण भी करता था। ये दोनों काम वह केंद्र सरकार के लिए ही नहीं, राज्य सरकारों के लिए भी करता था। यह मिली-जुली व्यवस्था ब्रिटिशराज का अवशेष थी और इसकी आलोचना हुई। अत: इंचकेप कमेटी (1923), डीमैन कमेटी (1924), साइमन कमेटी(1929), सार्वजनिक लेखा समिति और आकलन समिति ने निम्नलिखित आधारों पर लेखा को लेखापरीक्षा से अलग करने की सिफारिश की।

(i) पृथकीकरण से लेखापरीक्षा विभाग की कुशलता बढ़ेगी क्योंकि लेखाविधि के उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर यह केवल लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।
(ii) सम्मिलित व्यवस्था में धोखाधड़ी और गबन, और इनको प्रकट होने से रोकने के खतरे अंतर्निहित हैं।
(iii) एक ही पद के साथ इन दोनों कार्यों का पद के साथ उचित नहीं है क्योंकि लेखा एक कार्यपालक कार्य है जबकि लेखापरीक्षा एक अर्द्ध संसदीय कार्य है।
(iv) सम्मिलित प्रणाली, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से उसी लेखा की लेखापरीक्षा करने की अपेक्षा करती है जिसको स्वयं उसने संग्रहीत किया है। इससे वह अत्यंत उलझन की स्थिति में पड़ जाते हैं। यह आधुनिक सरकारों की कार्यपद्धति के विरूद्ध भी है जिनमें ये दोनों काम अलग-अलग होते हैं।
(v) पृथकीकरण के फलस्वरूप विभागों के खर्चे संसद द्वारा स्वीकृत विनियोगों से अधिक नहीं हो सकते क्योंकि उन पर लेखापालन की जिम्मेदारी आ जाती है।
(vi) पृथकीकरण के फलस्वरूप लेखापरीक्षण की स्वाधीनता बढ़ती है क्योंकि सम्मिलित व्यवस्था लेखापरीक्षा के सिद्धांत के विपरीत होती है।
(vii) लेखापालन के उत्तरदायित्व विभागों को सौंपने से न केवल लेखा पालन की प्रणाली में सुधार आएगा बल्कि इससे वे अधिक उत्तरदायी भी बनेंगे।
(viii) लेखापालन का उत्तरदायित्व कार्यपालक विभागों को सौंपे जाने से दोनों कार्य अलग हो जाएँगे और इससे न केवल बजट निर्माण को गोपनीय रखना आसान होगा बल्कि विभागों द्वारा संशोधित आकलनों को आसानी से अधिक कारगर ढंग से सूत्रबद्ध किया जा सकेगा।
(ix) पृथकीकरण से निर्णय-निर्माण और वित्तीय प्रबंधन में लेखाविधि के उपयोग का रास्ता खुलता है।

लेखा का विभागीकरण (Departmentalisation of Accounts)

1976 में लेखा के विभागीयकरण की नई योजना लागू करके केंद्र सरकार ने लेखा को लेखापरीक्षा से अलग कर दिया। विभागीय प्रबंधन लेखाविधि प्रणाली की योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं–

(i) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को केंद्र सरकार के लेखा संग्रहीत करने तथा उनके रखरखाव के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया और अब उसका सरोकार उनके लेखापरीक्षण मात्र से है। परंतु उन राज्यों के लेखा संग्रह

और उसके रखरखाव का उत्तरदायित्व अब भी उस पर है जिन्होंने लेखा को लेखापरीक्षा से अलग नहीं किया है।

(ii) प्रशासनिक विभागों ने भुगतान एवं प्राप्तियों के अधिकांश कार्य कोषागारों से ले लिए हैं। दूसरे शब्दों में भुगतान करने और उनका हिसाब रखने की जिम्मेदारी विभागों ने खुद ले ली है।

(iii) मंत्रालय तथा उससे संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के तमाम लेन-देन के लिए मुख्य लेखा प्राधिकारी के रूप में मंत्रालय सचिव को नामित किया गया है। भुगतान तथा लेखापालन व्यवस्था की कार्यपद्धति का पूरा दायित्व उसी पर है। मासिक लेखा के प्रमाणीकरण के लिए भी ही उत्तरदायी है। वह अपना उत्तरदायित्व मंत्रालय के एकीकृत वित्त सलाहकार के द्वारा और उसकी सहायता से पूरा करता है।

(iv) एकीकृत वित्तीय सलाहकार मंत्रालय के लेखा संगठन और भुगतान का प्रधान होता है। मंत्रालय सचिव अर्थात् मुख्य लेखा प्राधिकारी की ओर से वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होता है-

1. मंत्रालय और इसके विभागों के बजट का निर्माण
2. व्यय पर नियंत्रण
3. मंत्रालय द्वारा स्वीकृत भुगतानों का व्यवस्थापन
4. संपूर्ण मंत्रालय के लेखा का समेकन
5. मंत्रालय द्वारा नियंत्रित अनुदानों के लिए विनियोग लेखा को तैयार करना
6. प्रबंधन की ऐसी कुशल प्रणाली को लागू करना जो मंत्रालय तथा इसके विभागों के लिए सबसे उपयुक्त हो।
7. भुगतानों एवं लेखा की आंतरिक लेखा परीक्षा
8. लेखा की सटीकता और कार्य संचालन की कुशलता सुनिश्चित करना

उपरोक्त कार्यभारों के निष्पादन के लिए एकीकृत वित्तीय सलाहकार की सहायता निम्न अधिकारी करते हैं-प्रधान लेखा अधिकारी, भुगतान एवं लेखा कार्यालयों के प्रमुख, मुख्य लेखा नियंत्रक और लेखा नियंत्रक।

महालेखा नियंत्रक (Controller General of Accounts)

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के एक अंग के रूप में 1976 में महालेखा नियंत्रक के एक नए पद की स्थापना की गई। उसका काम केंद्र सरकार के लेखा विभागीयकरण से संबंधित मामलों का संचालन करना है। वह केंद्र सरकार की नई लेखा प्रणाली का मुख्य तकनीकी प्राधिकारी है। उसके निम्नलिखित काम हैं-

(i) लेखा संबंधी सिद्धांतों एवं लेखाओं के रूप को विनिर्दिष्ट करना

(ii) लेखा क्षेत्र में नियमों और विनियमों को बनाना।

(iii) आंतरिक लेखापरीक्षा।

(iv) लेखा संहिताओं और नियमावलियों का प्रकाशन।

(v) भारतीय लोक लेखा सेवा एवं लेखा कार्मिकों का प्रबंधन करना।

(vi) केंद्र सरकार के मासिक एवं वार्षिक लेखा का समेकन।

(vii) संविधान की धारा 283 के अधीन नियमों को लागू करना। इस धारा का संबंध संचित निधि के संरक्षण और उसके अन्य पक्षों से तथा आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक लेखा में जमा राशियों से है।

(viii) केंद्र सरकार के विनियोग लेखा और वित्त लेखा का एक संक्षिप्त प्रपत्र तैयार करना। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षण के बाद इनको संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

विनियोग लेखा का काम विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए वास्तविक खर्चे की तुलना पारित अनुदानों की राशि से करना है जैसा कि संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम में निर्दिष्ट है।

विनियोग लेखा (संबंधित शीर्षों के अंतर्गत) केंद्र सरकार के लिए वार्षिक प्राप्तियों तथा संवितरणों को प्रदर्शित करता है।

1992 में सरकारी लेखा कार्यालयों एवं वित्त संस्थान की स्थापना महालेखा नियंत्रक के अधीन दिल्ली में की गयी ताकि नागरिक लेखा सेवा के कर्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। फरवरी 2000 में के.पी. गीताकृष्णन की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी 10 रिपोर्ट एवं सिफारिशें सितम्बर 2001 में पेश कीं।

लेखा का ढाँचा (Structure of Accounts)

संविधान की धारा 150 के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेखा के प्रपत्रों का निर्धारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा की नियम संख्या 204 में कहा गया है कि लोकसभा में बजट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में (आकलन समिति के सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करके) प्रस्तुत किया जाएगा। व्यवहार में बजट का प्रपत्र लेखा के प्रपत्र से मेल खाने वाला होता है। लेखा की मौजूदा कार्यपद्धति निष्पादन बजटिंग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप प्रबंधन के उद्देश्यों तथा वित्तीय नियंत्रण एवं जवाबदेही की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1974 में केंद्र सरकार ने लेखा निधि के एक संशोधित ढाँचे को लागू किया। इस संशोधित योजना के अनुसार लेखा के पाँच स्तरीय वर्गीकरण को अपनाया गया-

- क्षेत्रीय (Sectoral)
- प्रमुख शीर्ष (Major Head)
- गौण शीर्ष (Minor Head)
- उप शीर्ष (Subhead)
- विस्तृत शीर्ष (Detailed Head)

मंडलीय वर्गीकरण ने सरकारी कार्यकलापों को तीन क्षेत्रों में बाँट दिया है–सामान्य सेवाएँ (छह उप क्षेत्रों सहित), सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ, और आर्थिक सेवाएँ (सात उपक्षेत्रों सहित)। इसके अतिरिक्त एक चौथा क्षेत्र भी है– सहायता अनुदान और अंशदान।

लेखा का प्रमुख शीर्ष सरकार के कार्यकलाप (जैसे-कृषि) को इंगित करता है जबकि गौण शीर्ष किसी कार्यक्रम (जैसे कि कृषि कार्य) का संकेतक है। उपशीर्ष किसी कार्यक्रम के अंतर्गत योजना को सूचित करता है जबकि विस्तृत शीर्ष उस खर्चे का प्रतिनिधित्व करता है जो वेतनों, निवेशों आदि के रूप में उस योजना पर हुए हैं।

नए संशोधित वर्गीकरण में 'वस्तु शीर्ष' (जैसे वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ स्तर) बनाए रखा गया है और इसको अंतिम पंक्ति में रख दिया गया है। यह खर्च पर मदवार नियंत्रण प्रदान करता है।

प्रमुख शीर्ष में किसी भी परिवर्तन के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वीकृति आवश्यक है।

लेखा परीक्षा (Audit)

अर्थ (Meaning)

वित्तीय प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है-लेखापरीक्षा। यह विधायिका के प्रति प्रशासन की जवाबदेही का लागू करने का एक उपकरण है। यह प्रशासन पर बाहरी नियंत्रण का अंग है।

लेखापरीक्षा लेखा की छानबीन है जिसका उद्देश्य यह पता लगाना और विधायिका को रिपोर्ट करना है कि प्रशासन की ओर से कौन-कौन से अनाधिकृत, अवैधानिक या अनियमित खर्चे किए गए हैं और उसके कौन-से वित्तीय कार्य उचित नहीं हैं। इसका उद्देश्य यह देखना है कि खर्चे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृतियों से और उन्हीं कार्यों के लिए किए गए हैं जिनके लिए इनको विधायिका ने स्वीकृत किया था। जेम्स सी.चार्ल्सवर्थ के शब्दों में, "लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि प्रशासन ने अपनी धनराशियों का प्रयोग उस विधायी प्रपत्र की उस शर्तों के अनुसार किया है, अथवा कर रहा है जिसने धन का विनियोग किया है।

लेखापरीक्षा या तो उत्तर लेखापरीक्षा हो सकती है अथवा पूर्व लेखापरीक्षा। अगर लेखापरीक्षा धन व्यय होने के बाद होती है तो इसे उत्तर लेखापरीक्षा कहते हैं और यदि धन खर्च होने से पहले होती है तो पूर्व लेखापरीक्षा कहलाती है। दूसरी ओर यदि लेखापरीक्षा खर्च की प्रक्रिया के दौरान होती है तो इसे समवर्ती लेखापरीक्षा कहा जाता है।

लेखापरीक्षा की भूमिका (Role of Audit)

आधुनिक राज्य में लेखापरीक्षा की भूमिका को निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट करते हैं–

नियामक (Regulatory) *लेखापरीक्षा*

इसका सरोकार प्रशासन द्वारा किए गए खर्चों के वैधानिक एवं तकनीकी पक्षों से है। यह सुनिश्चित करती है कि खर्च कानून, नियमों और विनियमों के अनुसार किए गए हैं और यह देखती है, इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त वाउचर हैं या नहीं। अतः इसको विधिक लेखापरीक्षा भी कहते हैं।

औचित्य (Propriety) *लेखापरीक्षा*

इसका संबंध खर्चा करने की बुद्धिमानी, निष्ठा और मितव्ययता से है। यह अपव्यय और बर्बादी के मामलों की उस स्थिति में भी खोज करती है, जब खर्चे कानून, नियम और विनियम के अनुसार किए गए हों।

निष्पादन (Performance) *लेखापरीक्षा*

इसका संबंध उपलब्धियों के मूल्यांकन से है। यह खर्चों के बदले में प्रशासन के कार्यों का मापन करता है। अतः इसको कुशलतापरक लेखापरीक्षा भी कहते हैं।

निवारक लेखापरीक्षा

इसके द्वारा वित्तीय कार्यचालनों के लेन-देन में प्रक्रियात्मक और पद्धति मूलक त्रुटियां खोजी जाती हैं और इनकी पुनरावृत्ति रोक जाता है।

उपचारात्मक लेखापरीक्षा

इसके माध्यम से दुर्विियोजन और गणना के मामलों की जांच की जाती है। इसके द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त होता है।

संवर्द्धक लेखापरीक्षा

यह पुरानी प्रक्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन के उपरान्त नई प्रक्रियाओं और कार्य व्यवहारों का प्रतिपादन करती है जिसके फलस्वरूप प्रशासनिक सुधारों की गति प्राप्त होती है।

इस प्रकार आधुनिक राज्य के प्रशासन में लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अशोक चंदा ने कहा है, "तमाम

मान्यता प्राप्त जनतंत्रों में लेखापरीक्षा को एक आवश्यक बुराई के रूप में ही सहन नहीं किया जाता है। अपितु एक ऐसी मूल्यवान मित्र के रूप में भी देखा जाता है जो व्यक्तियों की कार्यप्रणाली संबंधी और तकनीकी अनियमितताओं को सामने लाता है, चाहे वे निर्णय लापरवाही के कारण हों अथवा बेईमानी के कारण हों या उसके इरादे से किए गए हों।"

भारत में लेखापरीक्षा (Audit in India)

संविधान की धारा 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्वंतत्र पद का प्रावधान है। वह भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख है। वह सार्वजनिक निधि का संरक्षक है और केंद्र तथा राज्य दोनों के स्तर पर देश की समूची वित्त प्रणाली को नियंत्रित करता है; अत: इस पद की प्रकृति अखिल भारतीय है।

संविधान की धारा 149 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह केंद्र और राज्यों और किसी भी अन्य प्राधिकरण अथवा निकाय के लेखा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यभार एवं उसकी शक्तियों का निर्धारण करे। 1976 में इस अधिनियम में संशोधन कर केंद्र के मामले में लेखा को लेखापरीक्षा से पृथक कर दिया गया था।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को "यह सुनिश्चित करना है कि जो धन लेखा में खर्च हुआ दिखाया गया है क्या वह वैधानिक रूप से उस सेवा अथवा उद्देश्य के लिए उपलब्ध या लागू होता है जिसके लिए उसे प्रयुक्त अथवा खर्च किया गया है और कि क्या उसको नियंत्रित करने वाले प्राधिकरण को अनुमति प्राप्त है।" इस वैधानिक और नियामक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सीएजी औचित्य लेखापरीक्षा भी कर सकता है अर्थात वह सरकारी खर्चे की "बुद्धिमता, निष्ठा और मितव्ययता" को भी देख सकता है और ऐसे खर्च की बर्बादी और अपव्यय पर भी टीका टिप्पणी कर सकता है; परंतु वैधानिक एवं नियामक लेखापरीक्षा जो सीएजी के लिए अनिवार्य है जबकि औचित्य लेखा परीक्षा उसके विवेकाधीन है। सीएजी की भूमिका वित्तीय प्रशासन में भारत के संविधान और संसदीय कानूनों की मर्यादा को बनाए रखती है। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल की जवाबदेही सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सुरक्षित रहती है। सीएजी संसद का एजेंट है और यह लेखापरीक्षा कार्य संसद की ओर से करता है। अत: यह संसद के प्रति उत्तरदायी है।

भारत के संविधान की दृष्टि में सीएजी, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक दोनों है। परंतु व्यवहार में सीएजी केवल महालेखा परीक्षक की ही भूमिका निभाता है, नियंत्रक की नहीं। जैसा कि डी. डी. बसु का कहना है, "संचित निधि से जारी होने वाले धन पर सीएजी का कोई नियंत्रण नहीं और अनेक विभागों को सीएजी से विशेष प्राधिकार प्राप्त किए बिना चेक जारी करके धन निकालने का अधिकार है। सीएजी की भूमिका केवल लेखापरीक्षा के समय प्रकट होती है जब खर्च हो चुका होता है।" इस मामले में भारत का सीएजी ब्रिटेन के सीएजी से पूरी तरह भिन्न है जिसको नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, दोनों, शक्तियाँ प्राप्त हैं। दूसरे शब्दों में, ब्रिटेन में कार्यपालिका राजकोष से धन की निकासी केवल सीएजी की स्वीकृति से ही कर सकती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. लेखानुदान कब पारित किया जाता है?
   (a) माँगों पर मतदान के बाद
   (b) आम बहस से पहले
   (c) आम बहस के बाद
   (d) माँगों पर मतदान से पहले अथवा आम बहस के बाद
2. भारत में निष्पादन बजट का प्रारंभ किसकी सिफारिश पर किया गया था?
   (a) आकलन समिति
   (b) एप्पलबी रिपोर्ट
   (c) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
   (d) प्रशासनिक सुधार आयोग
3. शून्य आधारित बजट प्रणाली का जनक कौन था?
   (a) पीटर ए.फाइर (b) जिमी कार्टर
   (c) गाइ पीटर्स (d) हूवर आयोग
4. बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए–
   1. आमबहस
   2. विनियोग विधेयक
   3. वित्त विधेयक
   4. अनुदान माँगों पर मतदान
   5. विधायिका में प्रस्तुतीकरण
5. भारत में निष्पादन बजट का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था?
   (a) 1958 (b) 1968
   (c) 1978 (d) 1964
6. बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है?
   (a) राजस्व विभाग
   (b) व्यय विभाग

(c) आर्थिक मामलों का विभाग
(d) बजट विभाग

7. निम्न में से कौन-सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है?
(a) बजट संतुलित होना चाहिए
(b) बजट शुद्ध होना चाहिए सकल नहीं
(c) आकलन सटीक होना चाहिए
(d) कालातीत का नियम

8. भारतीय लेखापरीक्षा की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
1. लेखापरीक्षा संघ का विषय है।
2. उप-राष्ट्रीय स्तर पर लेखापरीक्षा और लेखा का एकीकरण।
3. इसका मुख्य सरोकार खर्च से है।
4. यह मूलतया एक वैधता लेखापरीक्षा है।
(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
(c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

9. यह कथन किसका है–"वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म है।"
(a) हूवर आयोग (b) साइमन कमीशन
(c) फुल्टन कमेटी (d) प्रशासनिक सुधार आयोग

10. शून्य आधारित बजट प्रणाली के लाभ निम्न में से कौन-से हैं?
1. यह निम्न प्राथमिकता कार्यक्रमों को हटा देता है।
2. यह कार्यक्रम की प्रभाविता में नाटकीय सुधार लाता है।
3. यह कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों को वित्तीय और भौतिक अर्थों में सामने लाता है।
4. यह उच्च प्रभावकारी कार्यक्रमों के लिए अधिक वित्त हासिल कराता है।
(a) 2 और 4 (b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2, 4 और 5 (a) 1, 2, 3, 4 और 5

11. बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन-से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं?
1. बजट संबंधी व्याख्यात्मक समृति पत्र
2. अनुदान मांगों का सारांश
3. विनियोग विधेयक
4. वित्त विधेयक
5. आर्थिक सर्वेक्षण
(a) 1, 3 और 5 (b) 1, 2 और 3
(c) 2, 3 और 5 (d) 1, 2, 3 और 4

12. संसद में कटौती प्रस्ताव की स्वीकार्यता की शर्त निम्न में से कौन-सी नहीं है?
(a) इसको मौजूदा नियमों में संशोधन का सुझाव नहीं देना चाहिए।
(b) इसका संबंध उस खर्च से नहीं होना चाहिए जो भारत की संचित निधि से किया जाता है।
(c) यह एक से अधिक मांगों से संबंधित होना चाहिए।
(d) इसको विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए।

13. नियंत्रक एक महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है?
(a) भारत के राष्ट्रपति (b) सर्वोच्च न्यायालय
(c) संसद (d) राष्ट्रीय विकास परिषद

14. आम बजट में असैनिक खर्चों के लिए माँगों की संख्या कितनी है?
(a) 100 (b) 106
(c) 103 (d) 102

15. "सरकार वित्त है," यह किसने कहा था?
(a) कौटिल्य (b) हूवर आयोग
(c) एफ.एम.मार्क्स (d) लॉयड जॉर्ज

16. भारतीय संविधान की निम्न में से कौन-सी धारा में 'बजट' शब्द का उल्लेख किया गया है?
(a) धारा 266 (b) धारा 112
(c) धारा 265 (d) किसी में नहीं

17. रेलवे बजट के बारे में निम्न में से कौन-सा वक्तव्य सही है?
1. आम बजट से इसे 1921 में अलग किया गया था
2. यह आम बजट से पहले रखा जाता है।
3. संसद में इसका नियमितीकरण प्रक्रिया एवं आचरण नियमों के द्वारा किया जाता है।
4. आम बजट से इसको आक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर अलग किया गया था
(a) 1, 2 और 4 (b) 1, 2, 3 और 4
(c) 2 और 4 (d) 1,3 और 4

18. 'निष्पादन बजट' शब्द किसने गढ़ा था?
(a) भारत के प्रशासनिक आयोग
(b) अमरीका का दूसरा हूवर कमीशन
(c) भारत की आकलन समिति
(d) अमरीका का पहला हूवर कमीशन

19. अमरीका में निष्पादन बजट संबंधी कौन-सा कथन सही है?
1. यह दूसरे हूवर कमीशन की सिफारिश पर लागू किया गया था।
2. यह 1949 में लागू किया गया था।
3. यह बजट निर्माण को प्रबंधन उपागम प्रदान करने के लिए अपनाया गया था।
4. इसको राष्ट्रपति ट्रूमैन ने लागू किया था।
(a) 1 और 4 (b) 2 और 3
(c) 3 और 4 (d) 1 और 3

20. बजट निर्माण के सिद्धांत के तौर पर कालातीत का नियम किस सिद्धांत में निहित है?
(a) आकलन का प्रपत्र लेखा-प्रपत्र के अनुरूप हो।
(b) आकलन सटीक हो।
(c) तमाम वित्तीय लेन-देन के लिए एक बजट हो।
(d) बजट की वार्षिकता।

21. बजट की तैयारी के लिए निम्न में से कौन-से आंकड़ों को आधार के रूप में लिया जाता है?
1. पिछले वर्ष के वास्तविक आँकड़े
2. चालू वर्ष के लिए संस्वीकृत बजट आकलन
3. चालू वर्ष के संशोधित आकलन
4. अगले वर्ष के प्रस्तावित आकलन
5. आकलन तैयार करते समय चालू वर्ष के उपलब्ध वास्तविक आँकड़े
6. पिछले वर्ष के उसी काल के वास्तविक आँकड़े
(a) 1, 2 और 4 (b) 2, 3 और 5
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

22. भारत में बजट विधिवत रूप से किस वर्ष में शुरू किया गया?
(a) 1860 (b) 1947
(c) 1950 (d) 1868

23. "अगर तालाब भरने और उसमें पानी के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए वित्त मंत्री को उत्तरदायी ठहराना है तो उसे इस स्थिति में भी होना चाहिए कि वह इसका प्रवाह रोक सके," यह वक्तव्य किससे संबंधित है?
(a) प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट
(b) आकलन समिति रिपोर्ट
(c) हाल्डेन कमेटी रिपोर्ट
(d) पी.एच. एप्पलबी रिपोर्ट

24. विकेंद्रीकृत वित्तीय नियंत्रण को वित्तीय अधिकार सौंपने की पहली योजना कब लागू की गई थी?
(a) 1962 (b) 1958
(c) 1968 (d) 1966

25. इनमें से कौन-सा कथन सही है?
1. संसद कर बढ़ा सकती है।
2. संसद कर घटा नहीं सकती।
3. संसद कर समाप्त कर सकती है।
4. संसद कर बढ़ा नहीं सकती।
5. संसद कर घटा सकती है।
(a) 1, 3 और 5 (b) 3, 4 और 5
(c) 2, 3 और 4 (d) 3 और 4

26. निम्न में से कौन-से कथन गलत हैं?
1. राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार कर सकती है।
2. राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है।
3. राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकती।
4. राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए।
5. राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है।
(a) 2, 3 और 4 (b) 1, 2 और 5
(d) 1 और 5 (d) केवल 1

27. भारत की संचित निधि पर प्रभारित खर्च के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
1. यह संसद में मतदान का विषय है।
2. यह संसद में बहस का विषय है।
3. यह केवल लोकसभा में मतदान का विषय है।
4. यह संसद में चर्चा का विषय नहीं है।
5. इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता।
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 2 और 5 (d) 1 और 4

28. निम्न में से कौन-सा खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है?
1. लोकसभा अध्यक्ष के भत्ते
2. ऋण लेने और ऋण सेवा तथा विमोचन संबंधी खर्च
3. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशनें।
4. किसी मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के निर्णय की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि ।
5. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के प्रशासनिक खर्चे ।
(a) 2 और 5 (b) 1, 2 और 5
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

29. लेखा को लेखापरीक्षा से पृथक करने के मामले पर निम्न में से किसने विचार नहीं किया था?
(a) इंचकेप कमेटी
(b) सार्वजनिक लेखा आयोग
(c) प्रशासनिक सुधार आयोग
(d) साइमन आयोग

30. लेखा ढाँचे के वर्गीकरण में निम्नलिखित स्तरों को सही क्रम में रखिए–
1. प्रमुख शीर्ष 2. उपशीर्ष
3. क्षेत्रीय शीर्ष 4. विस्तृत शीर्ष
5. गौण शीर्ष
(a) 1, 4, 2, 3, 5 (b) 3, 2, 1, 5, 4
(c) 3, 1, 5, 2, 4 (d) 1, 3, 2, 5, 4

31. भारत के सार्वजनिक लेखा संबंधी कौन-से कथन सही हैं?
1. सार्वजनिक लेखा वह कोष है जिससे सरकार के द्वारा या इसकी ओर से प्राप्त सभी सार्वजनिक राशियों को जमा किया जाता है।
2. भारत के सार्वजनिक लेखा से भुगतान के लिए किसी विधायी विनियोग की आवश्यकता नहीं है।
3. भारत के सार्वजनिक लेखा से भुगतानों के लिए विधायी विनियोग अपेक्षित है।
4. भारत की संचित निधि में जमा होने वाली राशियों के अतिरिक्त सरकार द्वारा या इसकी ओर से प्राप्त सभी राशियाँ भारत के सार्वजनिक लेखा में जमा की जाती हैं।
5. इसका संचालन कार्यकारी कार्यवाही से होता है।
(a) 1, 2 और 5 (b) 1, 3 और 5
(c) 2, 4 और 5 (d) 2 और 4

32. एकीकृत वित्तीय सलाहकार की प्रणाली को सबसे पहले किस मंत्रालय में लागू किया गया था?
(a) उद्योग (b) जहाजरानी
(c) ग्रामीण विकास (d) सिंचाई और विद्युत

33. मंत्रालय सचिव, जो मंत्रालय का मुख्य लेखा प्राधिकारी होता है, लेखा से संबंधित अपने कार्य किसके माध्यम से करता है ?
(a) प्रधान लेखा अधिकारी
(b) सार्वजनिक लेखा समिति
(c) महालेखा नियंत्रक
(d) एकीकृत वित्तीय सलाहकार

34. "प्रशासन में वित्त सर्वत्र वैसे ही सम्मिलित है जैसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन," यह कथन किसका है?
(a) लॉयड जॉर्ज (b) विलोबी
(c) डिमॉक (d) मॉर्सटेन मार्क्स

35. निम्न में से कौन-सा वक्तव्य सही नहीं है ?
1. विनियोग विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता है जबकि वित्त विधेयक में किया जा सकता है।
2. वित्त विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता जबकि विनियोग विधेयक में किया जा सकता है।
3. विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक, दोनों के लिए समान कार्यविधि लागू होती है।
4. विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के लिए कार्यविधियाँ अलग-अलग हैं।
5. राज्यसभा विनियोग विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती जबकि वित्त विधेयक को कर सकती है।
(a) 2 और 4 (b) 2, 4 और 5
(c) 1 और 3 (d) 1, 3 और 5

36. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में एकीकृत वित्तीय सलाहकारों की योजना किस वर्ष लागू हुई थी?
(a) 1974 (b) 1972
(c) 1976 (d) 1978

37. वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के साथ निम्न में से कौन-सा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता?
1. बजट का आर्थिक वर्गीकरण
2. विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट
3. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट
4. मंत्रालयों के अनुसार प्रावधानों को प्रदर्शित करती माँग पुस्तक।

38. प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार वित्त वर्ष कब शुरू होना चाहिए?
(a) 1 नवंबर (b) 1 जुलाई
(c) 1 सितंबर (d) 1 जनवरी

39. 'आंतरिक वित्तीय सलाहकार' की नियुक्ति पहली बार किस मंत्रालय में की गई थी?
(a) जहाजरानी एवं परिवहन (b) कृषि
(c) सिंचाई एवं विद्युत (d) प्रतिरक्षा

40. निम्न में से कौन-सा कथन गलत है?
(a) इंग्लैंड में वित्त वर्ष एक अप्रैल से शुरू होता है।
(b) फ्रांस में वित्त वर्ष एक मार्च से शुरू होता है।
(c) अमरीका में वित्त वर्ष एक अप्रैल से शुरू होता है।
(d) भारत में वित्त वर्ष एक अप्रैल से शुरू होता है।

41. 'निष्पादन बजट' के पूर्ववर्ती नाम क्या थे?
1. रेखामद (line-item) बजटिंग
2. कार्यात्मक बजटिंग
3. कार्यक्रम बजटिंग
4. प्रबंधन बजटिंग
5. गतिविधि बजटिंग
(a) 1, 2 और 4 (b) 2 और 5
(c) 2, 3 और 4 (d) 2, 3 और 5

42. बजट निर्माण के निम्न में से कौन-से सिद्धांत हैं?
1. बजट संतुलित होना चाहिए।
2. राजस्व एवं पूँजीगत पक्षों का एकीकरण होना चाहिए।
3. विभागीय स्तर पर आकलन होने चाहिए।
4. आकलन आय के आधार पर होने चाहिए।
5. बजटिंग सकल नहीं निवल होनी चाहिए।
(a) 1, 3 और 5 (b) 1 और 3
(c) 1, 2 और 4 (d) 1, 3 और 4

43. भारत में निष्पादन बजट लागू करने की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की थी?
(a) एक अमरीकी विशेषज्ञ फ्रेंक डब्ल्यू. क्रॉउस
(b) प्रशासन सुधार आयोग
(c) पॉल एच.एप्पलबी
(d) आकलन समिति

44. बजट के बारे में निम्न में से कौन-से वक्तव्य गलत हैं?
1. यह कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का उपकरण है।
2. यह प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का उपकरण है।
3. यह प्रशासन पर न्यायपालिका के नियंत्रण का उपकरण है।
4. यह प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण का उपकरण है।
5. यह समाज में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का उपकरण है।

(a) 1, 2 और 5 (b) 3 और 5
(c) 1 और 5 (d) 1, 2 और 3

सुमेलन प्रतिरूप (Matching Pattern)

सूची I का मिलान सूची II से करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए–

45. सूची I (कथन) — सूची II (लेखक)

A "बजट लोगों की संपन्नता,वर्ग संबंधों और साम्राज्य की शक्ति की जड़ों तक पहुँचता है।" — 1. कौटिल्य
B "सरकार वित्त है।" — 2. एफ.एम.मार्क्स
C "वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म है।" — 3. हूवर आयोग
D 'सारे कार्य वित्त पर निर्भर हैं। अत: कोषागार पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए।' — 4. ग्लैडस्टोन
5. लॉयड जॉर्ज

कूट:

	A	B	C	D
(a)	5	4	2	1
(b)	4	3	5	2
(c)	5	4	2	3
(d)	4	5	3	1

46. सूची I — सूची II

A सांकेतिक कटौती प्रस्ताव — 1. "माँग की राशि को निर्दिष्ट राशि तक कम कर दिया जाए।"
B मितव्ययता कटौती प्रस्ताव — 2. "माँग की राशि में एक रुपये तक घटा दिया जाए।"
C नीति कटौती प्रस्ताव — 3. "माँग की राशि 100 रुपए तक घटा दी जाए।"
4. "माँग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए।"
5. "माँग की राशि घटाकर 100 रुपए कर दी जाए।

कूट:

	A	B	C
(a)	5	1	2
(b)	5	3	1
(c)	3	1	4
(d)	3	5	2

47. सूची I — सूची II

A. कानून के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जाएगा, न एकत्र किया जाएगा। — 1. धारा 117
B. कर लगाने वाला कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। — 2. धारा 113
C. विधायिका की संस्वीकृति के बिना कोई खर्च नहीं किया जा सकता। — 3. धारा 265
D. खर्च के लिए किसी अनुदान की माँग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखी जा सकती। — 4. धारा 112
5. धारा 266

कूट:

	A	B	C	D
(a)	5	4	2	3
(b)	3	1	5	2

	A	B	C	D
(c)	4	5	2	1
(d)	3	2	4	2

48. सूची I (शब्द) — सूची II (द्वारा परिभाषित)

सूची I (शब्द)	सूची II (द्वारा परिभाषित)
A. भारत की संचित निधि	1. धारा 110
B. धन विधेयक	2. धारा 267
C. वार्षिक वित्तीय विवरण	3. धारा 266
D. भारत की आकस्मिकता निधि	4. धारा 265
	5. धारा 112

कूट:

	A	B	C	D
(a)	4	1	5	3
(b)	2	1	5	4
(c)	4	1	5	2
(d)	3	1	5	2

49. सूची I — सूची II

सूची I	सूची II
A. नकदी बजट	1. फ्रांस
B. द्वैध बजट	2. ब्रिटेन
C. राजस्व बजट	3. अमरीका
D. एकल बजट	4. भारत

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	4	3	1
(b)	4	3	2	1
(c)	3	1	4	2
(d)	3	4	1	2

50. सूची I — सूची II

सूची I	सूची II
A. रेलवे बजट	1. 1950
B. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	2. 1921
C. एकीकृत वित्तीय सलाहकार	3. 1921
D. सार्वजनिक लेखा समिति	4. 1976

कूट:

	A	B	C	D
(a)	3	2	4	1
(b)	1	3	2	4
(c)	3	1	4	2
(d)	3	1	2	4

51. सूची I — सूची II

सूची I	सूची II
A. निष्पादन बजट	1. पीटर ड्रकर
B. पीपीबीएस	2. कार्टर
C. शून्य आधारित बजट	3. जॉनसन
D. उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन	4. ट्रूमैन

कूट:

	A	B	C	D
(a)	4	3	2	1
(b)	3	4	1	2
(c)	4	3	1	2
(d)	1	3	4	2

कथन (A) और कारण (R) प्रतिरूप

Assertion (A) and Reason (R) Pattern

निम्नलिखित प्रश्नों का नीचे दिए संकेतों का उपयोग करते हुए उत्तर दें:

(a) A और R दोनों सही हैं और A की सही व्याख्या R है।

(b) A और R दोनों सही हैं किंतु A की सही व्याख्या R नहीं है।

(c) A सही है परंतु R गलत है।

(d) A गलत है परंतु R सही है।

52. ***कथन*** (A) **:** बजट एक गोपनीय दस्तावेज है। यह संसद में प्रस्तुत होने से पहले प्रकट नहीं होना चाहिए।
कारण (R) **:** भारत ने संसदीय सरकार को अपनाया है।

53. ***कथन*** (A) **:** बजट भारत की संचित निधि पर प्रभारित खर्च और भारत की संचित निधि से 'किए गए' खर्च के बीच अंतर करता है।
कारण (R) **:**भारत की संचित निधि पर प्रभारित' खर्च संसद में मतदान का विषय नहीं है।

54. ***कथन*** (A) **:** बजट को वित्त मंत्रालय के नेतृत्व और निदेशन में तैयार किया जाता है।
कारण (R) **:** वित्त मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय वित्त एजेंसी है।

55. ***कथन*** (A) **:** कोई व्यय संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता।
कारण (R) **:** ब्रिटेन की तरह हमारी जनतांत्रिक सरकार संसद की सर्वोच्चता की अवधारणा पर आधारित है।

56. ***कथन*** (A) **:** प्रशासनिक मंत्रालयों के खर्चों का निरीक्षण वित्त मंत्रालय करता है।
कारण (R) **:**यह भारत सरकार की वित्तीय नीतियों को लागू करता है।

57. ***कथन*** (A) **:** राज्यसभा के पास वित्तीय मामलों की शक्ति कम है।
कारण (R) **:** मात्र लोकसभा ही स्वयं अनुदान की माँगों पर मतदान कर सकती है।

58. ***कथन*** (A) : लोकसभा में वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद बजट को राज्यसभा में पेश किया जाता है।
कारण (R) : लोकसभा में बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर रखा जाता है।
59. ***कथन*** (A) : भारत में वित्त प्रणाली परंपरागत तौर पर केंद्रीयकृत रही है।
कारण (R) : संपूर्ण वित्तीय नियंत्रण और देखरेख वित्त मंत्रालय करता रहा है।
60. ***कथन*** (A) : भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय संसद में मतदान के अधीन नहीं है।
कारण (R) : इसकी प्रकृति बाध्यकारी भुगतान की होती है।
61. ***कथन*** (A) :भारतीय संविधान ने संसद को भारत की आकस्मिकता निधि का निर्माण करने को अधिकृत किया है।
कारण (R) : यह निधि सरकार को गैर-पूर्वानुमानित व्यय करने में सक्षम बनाती है।
62. ***कथन*** (A) : बजट का निर्माण सकल आकलनों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि शुद्ध आकलनों के आधार पर।
कारण (R) : इससे सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण अर्थवान होता है।
63. ***कथन*** (A) : भारत में लेखापरीक्षा का सरोकार व्यय के वैधानिक एवं तकनीकी पक्षों के साथ उसके औचित्य पक्षों से भी है।
कारण (R) : सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा जिस प्रावधान के अंतर्गत की जाती है, वह कहता है कि लेख परीक्षा में उसे यह, "सुनिश्चित करना है कि लेखा में जिस धन को संवितरित दिखाया गया है क्या वह उस उद्देश्य के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध और प्रयोज्य था जिसके लिए उसे प्रयुक्त किया गया है और क्या व्यय को इसे नियंत्रित करने वाले प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त है।"

उत्तर

1. (c)	2. (d)	3. (a)	4. (b)	5. (b)	6. (c)
7. (b)	8. (d)	9. (a)	10. (c)	11. (d)	12. (c)
13. (c)	14. (c)	15. (d)	16. (d)	17. (b)	18. (d)
19. (c)	20. (d)	21. (d)	22. (a)	23. (c)	24. (b)
25. (b)	26. (c)	27. (c)	28. (d)	29. (c)	30. (c)
31. (c)	32. (b)	33. (d)	34. (d)	35. (b)	36. (c)
37. (c)	38. (a)	39. (c)	40. (b)	41. (b)	42. (b)
43. (d)	44. (b)	45. (d)	46. (c)	47. (b)	48. (d)
49. (d)	50. (c)	51. (a)	52. (a)	53. (a)	54. (a)
55. (c)	56. (a)	57. (a)	58. (b)	59. (a)	60. (a)
61. (a)	62. (a)	63. (d)			